प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0
विशाल कॉम्पलेक्स,19–ए,विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बस्ती।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एस.एस.भ्रमण–बस्ती /2019–20/5853 दिनांक–30-09-19

विषय– सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत चिन्हित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 29.8.2019 से 31.8.2019 तक आपके जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों /कार्यक्रमों का क्षेत्रीय सत्यापन तथा गुणवत्ता का भी आंकलन किया गया।

भ्रमण के अन्तर्गत पाए गए कुछ बिन्दुओं पर आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है–

1. जनपदीय परामर्शदाता क्वालिटी तथा नर्स मेन्टर की टीम बनाकर जनपद के सभी प्रसव कक्ष का निरीक्षण कराकर मानकारूप सुदृणीकरण एवं प्रसव कक्ष में साफ–सफाई तथा उपकरण व दवाइयों की व्यवस्था कराई जाए।
2. एच0आर0पी0 केस का फॉलोअप तथा नियमित जाँच रिकार्ड का रख–रखाव सुनिश्चित की जाए।
3. प्रसव कक्ष व पी0एन0सी0 वार्ड में चिकित्सा अधीक्षक व महिला चिकित्सा द्वारा नियगित भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं, साफ–सफाई तथा गोपनीयता की व्यवस्था की जाए।
4. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन तथा भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि वार्ड में भर्ती लाभार्थी को मानकानुरूप भोजन व नाश्ता मिलें तथा भुगतान किये जा रहे बिल वाउचर का भी सत्यापन कराया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि सभी इकाई पर प्रदत्त निर्देशानुसार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध हो।
5. टीकाकरण सत्र पर दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक उपकरण व लाजिस्टिक की व्यवस्था तथा पूर्ण टीकाकरण हेतु लाभार्थी को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र में एम0आर0 तथा रोटावारयरस को सम्मिलित किया जाए।
6. रक्तकोष के सुदृणीकरण हेतु एन0एच0एम0 से प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा रक्तकोष द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं/बी0सी0टी0वी0 आदि की मासिक समीक्षा की जाय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के एजेण्डा में भी उक्त को सम्मिलित किया जाय जिससे कार्यक्रम की नियमित समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान किया जा सके।
7. जनपद स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के पास एन0एच0एम0 कर्मियों के लम्बे अवकाश/मातृत्व अवकाश पर जाने की सूचना अवश्य प्रेषित की जाय तथा कार्यक्रम अधिकारी के पास भी सूचना की प्रति उपलब्ध की जाए।
8. मॉनेटरिंग एण्ड सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन लेने के टेंडर में गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :–
    - चयनित फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा टेंडर प्रपत्र के साथ ई0एम0डी0 के लिए रु0 1,05,000.00 का साधारण चेक लगाया गया था। उस चेक पर मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स के प्रोपराइटर श्री सूर्य मणि पाण्डेय के हस्ताक्षर नहीं थे चेक पर एल–2 फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन ट्रेवल्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर के प्रोपराइटर श्री ब्रज भूषण पाण्डेय के हस्ताक्षर थे। उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि एल–1 एवं एल–2 फर्में एक ही परिवार की थी । चेक पर अन्य फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर होने से वह चेक फर्जी प्रपत्र था, जिस पर टेंडर कमेटी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।
    - टेंडर शर्त के अनुसार फर्म का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर रु0 20.00 लाख होना चाहिए था। मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23.01.2018 को हुआ था अर्थात् टेंडर निविदा प्रकाशित होने से एक माह पूर्व फर्म द्वारा स्टीमेटेड बैलेंस शीट लगायी गयी थी। टेंडर कमेटी द्वारा इस शर्त की भी अनदेखी की गई।
    - टेंडर शर्त के अनुसार फर्म के पास सरकारी विभाग में काम करने का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए था। टेंडर कमेटी द्वारा इस शर्त की भी अनदेखी की गई।

Scanned by CamScanner

- टेंडर शर्त के अनुसार चयनित फर्म को चयन के सात दिन के अंदर रु 4,15,800.00 की सिक्योरिटी धनराशि प्राप्त की जानी थी, परन्तु मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा उक्त धनराशि को जमा नहीं किया गया इसके बाद भी उक्त फर्म का चयन निरस्त नहीं किया गया था।

9. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद बस्ती के आर०एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसर्स Eastern Drug Agencies से रु 15,46,957.00 के लैब मैटेरियल को कोटेशन के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर क्रय किया गया है।
10. जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में जे०एस०एस०के० ड्रग एवं डायग्नोस्टिक कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया है एवं आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया, जिससे कोटेशन/ टेंडर से बचा जा सके।
11. सी0एच0सी0 दुबौलिया, बस्ती में नियुक्त लिपिक श्री जंगी प्रसाद गुप्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु० 28,800.00 की धनराशि को अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है। पी0एफ0एम0एस0 के पोर्टल से "Know Your Payment" से यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कर्मचारी के खाते में अनियमित रूप से रू0 6,88,585.00 की धनराशि अपने खातों में हस्तांतरित की गई है, जबकी उपरोक्त भुगतानों के सापेक्ष कोई भी बिल/वाऊचर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।
12. आर० के० एस० ऑडिट हेतु राज्य स्तर से निर्धारित फीस रू0 2000/मात्र से अधिक दर का भुगतान फर्म चौधरी वर्मा एण्ड एसोशिएट को किया गया है, जो कि वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।
13. जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार एक ही लाभार्थी को भुगतान किया गया है। कुछ प्रकरण में एक ही लाभार्थी को तीन बार भुगतान किया गया है, सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

संलग्नक– भ्रमण दल की हस्ताक्षरित रिर्पोट

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक–

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एस.एस.भ्रमण–बस्ती /2019–20/

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, मण्डल–बस्ती।
2. अपर मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
3. वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0 स्वा0 एवं0 परिवार कल्याण, मण्डल–बस्ती।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष, महिला ,ओपेक कैली चिकित्सालय, बस्ती।
7. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
8. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यकम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 बस्ती ।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, बस्ती।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या

जनपद– बस्ती

दिनांक 29.8.2019 से 31.8.2019

भ्रमण दल के सदस्य–

1. नीलिमा पाठक, सलाहकार, वी0बी0डी0, स्टेट ब्लड सेल, एन0एच0एम0।
2. सुरेश कुमार मौर्य, प्रोग्राम असिस्टेन्ट, आर0आई0, एन0एच0एम0।
3. विकास कुँवर ,आडिट ऑफीसर,एन0एच0एम0।

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0 प्र0 के पत्रांक एस0पी0एम0यू0/एन0एन0एच0एम0/एम0एण्ड0ई0/19–20/18/28867–2 दिनांक 01.07.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देश के कम में उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा आवंटित जनपद बस्ती का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दिनांक **29.8.2019 से 31.8.2019** तक किया गया जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है।

प्रथम दिवस–29.8.2019

दिनांक 29.08.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–मरवटिया, हरैया, उपकेन्द–गायघाट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कुदरहा का भ्रमण।

द्वितीय दिवस–30.08.2019

दिनांक 30.08.2019 को जिला महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, ओपेक कैली अस्पताल , सी0एच0सी0 दुबौलिया का भ्रमण एवं डी0पी0एम0यू0 टीम के साथ बैठक।

तृतीय दिवस–31.08.2019

दिनांक 31.08.2019 को मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के साथ फीडबैक बैठक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्या0 व वी0एच0एन0डी0 सत्र दुहवा मिश्र का भ्रमण।

भ्रमण में सहयोगी–

- जिला कार्यकम प्रबन्धक, बस्ती।
- जिला लेखा प्रबन्धक, बस्ती।
- जनपदीय सलाहकार,मातृ स्वास्थ्य, बस्ती।
- हास्पिटल मैनेजर, जिला महिला चिकित्सालय,बस्ती।
- हास्पिटल मैनेजर,जिला चिकित्सालय, बस्ती।
- क्वालिटी कन्सलटेन्ट,बस्ती।
- चिकित्सा अधीक्षिका, सामु0स्वा0केन्द्र मरवटिया।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,पी0एच0सी0 कुदरहा।

Scanned by CamScanner

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–मरवटिया, बस्ती, दिनांक 29.08.2019

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
पैथालॉजी लैब में एल टी0 श्री आनंद प्रसाद भ्रमण के समय उपस्थित पाये गयें। पैथालॉजी लैब में खिड़की में पर्दे नहीं लगे थे तथा कमरे में साफ–सफाई की भी कमी पायी गई।	लैब की खिडकियों पर परदे लगाने एवं साफ–सफाई कराने हेतु अवगत कराया गया।	CHC Supt, LT
लैब में एच0बी0,मलेरिया,टॉयफाइड,प्रेग्नेन्सी,एच0आई0वी0 आदि की जाँच की जा रही है। एल0 टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 3 महीनों से किट उपलब्ध न होने के कारण सिफलिस की जांचे नहीं हो पा रही है।	सिफलिस जाँच किट के मांग हेतु पुनः मांगपत्र बनाकर जनपदीय स्टोर से सम्पर्क करने एवं अपर मु0 चिकित्सा अधिकारी एन0एच0एम0 के संज्ञान में लाने हेतु कहा । व्यक्तिगत रूप से ए0सी0ओ0 आर0सी0एच0 को उक्त प्रकरण से अवगत कराया गया।	CHC Supt, LT & ACMO RCH & Nodal Store
भ्रमण के समय पाया गया कि लैब में होने वाली जाँचों के विषय में किसी भी सूचना का प्रदर्शन इकाई पर नहीं किया गया है।	चिकित्सा इकाई पर पैथाँलाजी में होने वाली जाचे तथा उनके शुल्क/निःशुल्क के विषय में स्पष्ट प्रदर्शन वाल पेंन्टिंग/फ्लैक्स लगवाले हेतु अवगत कराया गया।	CHC Suptt./Lt & BPM
लैब में बने वाश–वेसिन में एल0बो0 टैब नहीं लगा पाया गया। तथा वेंसिन में गंदगी पायी गई।	वास वेसिन की नियमित साफ–सफाई तथा एलबो टैब लगाने हेतु एल0टी0 को अवगत कराया गया।	CHC Supt, LT
गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन जाँच की पंजिका का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि क्रमशः गर्भवती महिलाओं का एच0बी0 लेविल 8 से 11 दर्शाया गया है। विगत 5 माह की जाँच में किसी भी गर्भवती में 7 ग्राम0 या इससे कम का एच0बी0 स्तर नहीं है जो कि संदेहास्पद प्रतीत हुआ।	जाँच हेतु प्रयोग किया जाने वाला हीमोग्लोबिनोमीटर काफी पुराना हो गया है अतः नया हीमोग्लोबिनोमीटर निर्गत कराकर उससे जाँच करने का परामर्श प्रदान किया गया।	CHC Suptt. & LT
पर्चा काउन्टर से दवा का वितरण किया जा रहा था तथा पर्चा वरामदे में वेटिंग एरिया में खुले में बनाया जा रहा था। माह जनवरी 2019 से भ्रमण दिनांक तक कुल 9258 मरीजों के पंजीकरण हो चुके है। भ्रमण दिनांक को 72 मरीजों का पंजीकरण किया गया है।	पर्चा बनाने हेतु मेन गेट के पास रिक्त स्थान पर आयरन पाँरटीशन कराकर केबिन बनवाकर करने हेतु सुझाव दिया गया।	CMO/DPM/CHC Suptt .
चिकित्सा इकाई पर कुल 03 फार्मासिस्ट कार्यरत है। दवा वितरण कक्ष में दवा वितरण हेतु जो खिडकी बनाई गई है वह अत्यन्त छोटी होने के कारण मरीज और दवा वितरण कर्मचारी के मध्य Face to Face सम्पर्क नहीं हो पाता और मरीज/मरीज के तीमारदार को अत्यन्त असुविधा हो रही है।	दवा वितरण कक्ष की खिडकी को बडी करने का सुझाव दिया गया जिससे मरीज/तीमारदार को दवा के विषय में जानकारी प्राप्त करने में असुविधा न हो।	CHC Suptt. & Pharmacist
फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों तथा स्टोर रूम का अवलोकन कराया गया। Magnesium Sulphate दवा अगस्त, 2019 की एक्सायरी पाई गई। स्टोर रूम में फ्रिज नहीं था तथा दवाईयों का रख–रखाव भी सहीं से नहीं पाया गया। दवाईयों के रैक पर लेबल नहीं लगे थे,कक्ष में साफ–सफाई की कमी थी तथा सीलन व्याप्त थी। स्टोर स्म में रेफ्रिजरेटर नही था।	स्टोर रूम बहुत ही छोटा होने के कारण सही प्रकार से दवाइयों का रख–रखाव तथा सफाई नही हो पाती तथा सीलन भी बहुत है अतः प्राथमिकता पर चिकित्सालय में रिक्त अन्य किसी बडे कक्ष में मेडिसिन स्टोर रूम सिफ्ट करने का सुझाव चिकित्सा अधीक्षिका को दिया गया तथा ,दवाइयों को व्यवस्थित रखने के लिए रैक,एक रेफ्रिजरेटर आदि का इन्डेण्ट बनाकर मुख्य स्टोर से उक्त सामान प्राप्त कर दवाइयों के रख रखाव हेतु अवगत कराया गया । FIFO के अनुसार दवाइयों के उपयोग हेतु भी जानकारी प्रइदान की गई।	ACMO RCH/Incharge Main Store/CHC Suptt. & CHC Pharmacists
कण्डोम बाक्स में कण्डोम नहीं था एवं बाक्स में लाक भी नहीं लगा था।	कण्डोम वाक्स में कण्डोम रखवाले तथा बाक्स को लॉक करने हेतु सुझाव दिया गया तथा नियमित समयान्तराल पर बाक्स को चेक करते हुए कण्डोम की रिफलिंग हेतु भी अवगत कराया गया।	CHC Supt/BCPM
टीम द्वारा चिकित्सा इकाई में स्थापित कोल्ड चैन कक्ष का अवलोकन किया गया। कोल्ड चैन कक्ष में 2 आई0एल0आर0 एवं	कोल्ड चैन कक्ष में खिडकियों पर परदे लगाने, साफ–सफाई कराने तथा स्टेबलाइजर को सही से	CHC Supt/VCCM

Scanned by CamScanner

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
3 डीप फ्रीजर कियाशील अवस्था में पाए गए। कोल्ड चैन कक्ष में Exhaust Fan लगे नहीं पाए गए। कक्ष में खिड़की में पर्दे न लगे होने के कारण रोशनी कमरे में आ रही थी। आई0एल0आर0 एवं डीप फ्रिजर में लगे स्टेबलाइजर मानकानुसार नहीं लगे पाए गए। कोल्ड चैन कक्ष में 1 आई0एल0आर0 का ढक्कन सही से कार्य नहीं कर रहा था।	लगाने हेतु अवगत कराया गया।	
प्रसव कक्ष– • प्रसव कक्ष में साफ–सफाई का अभाव था। • कक्ष से दुर्गन्ध आ रही थी। • लेबर टेबल पर चींटे चल रहे थे।	प्रसव कक्ष में नियमित फिलायल से साफ–सफाई कराने का सुझाव दिया गया।	SN
• लेबर टेबल पर लगा कैलिसपैड पंचर था उसमें हवा नहीं थी।	पंचर कैलिसपैड को बदलने एवं नियमित कैलिसपैड में हवा चेक करने का सुझाव दिया गया।	CHC Suptt & SN
• लेबर टेबल का गद्दा उठाकर जब देखा गया तो गद्दे के नीचे गंदगी थी तथा जंग लगी टेबल पाई गई।	जंग लगी प्रसव टेबल को तुरन्त बदलवाने हेतु जिला कार्यकम प्रबन्धक तथा परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य को अवगत कराया गया।	DPM/Con.MH & CHC Suptt.
• प्रसव कक्ष में उपलब्ध मेडिसिन ट्रे में दवाइया सही से व्यवस्थित नहीं थी ।	प्रसव कक्ष में स्टाफ नर्स द्वारा मानकारूप 07 मेडिसिन ट्रे तैयार करने हेतु अवगत कराया गया। प्रत्येक ट्रे पर उसका नाम ,दवाइयों का नाम,अंकित करने तथा प्रतिदिन उक्त ट्रे की जाँच करते हुए प्रतिदिन के केस लोड के अनुसार पुनः दवाइयों के रिफलिंग हेतु जानकारी प्रदान की गई।	Staff Nurse
• Inj. Oxytocin खुले अवस्था में दवा के गत्ते में रखे पाये गये ।	खुले अवस्था में दवा के गत्ते में रखे Inj. Oxytocin को मेडिसिन स्टोर में रेफ्रिजरेटर में रखने हेतु सुझाव दिया तथा अवगत कराया कि प्रतिदिन केस लोड के अनुसार 3 से 4 वायल लेकर कोल्ड बाक्स में रखें।	Staff Nurse
• हब कटर पर बहुत ही ज्यादा धूल लगी थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता।	प्रसव कक्ष के उपकरणों के नियमित साफ सफाई कराने का सुझाव दिया गया तथा हब कटर को तुरन्त साफ करवाया गया।	Staff Nurse
• प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर भी नहीं पाये गयें।	प्रोटोकाल के अनुसार पोस्टर लगवाले हेतु जिला कार्यकम प्रबन्धक एवं सलाहकार मातृ स्वास्थ्य को सुझाव दिया गया।	DPN/Con.MH & SN
• प्रसव कक्ष में प्रेगनेन्सी टेस्ट किट, एच0आई0वी0 जाँच किट प्रचुर मात्रा में पाये गये तथा स्टाफ नर्स द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर स्टाफ नर्स द्वारा लाभार्थियों का प्रेगनेन्सी व एच0आई0वी0 की जॉच की जाती है।	प्रसव कक्ष में प्रेगनेन्सी एवं एच0आई0वी0 की जाँच न करने हेतु जानकारी प्रदान की तथा तत्काल प्रसव कक्ष से प्रेगनेन्सी किट को हटाने हेतु सुझाव दिया। आकस्मिकता की स्थिति में ऐसी गर्भवती महिला जिसके गर्भावस्था के दौरान किसी भी जाँच की सूचना नही प्राप्त हो रही है की स्थिति में ही एच0आई0वी0 जाँच पूर्व में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार कराया जा सकता है का सुझाव दिया।	CHC Suptt./SN
• प्रसव कक्ष का शौचालय गंदी अवस्था में पाया गया तथा दुर्गन्ध भी आ रही थीं । शौचालय में लगा पिस्टन भी टूटा था।	प्रसव कक्ष के शौचालय को साफ करने तथा शौचालय के टूटे पिस्टन को तत्काल सही कराने हेतु अवगत कराया गया।	CHC Suptt./SN
• प्रसव कक्ष से लगे स्टोर रूम में गंदगी, धूल तथा जाले लगे थे। सभी सामान अव्यवस्थित रूप से रखा गया था।	स्टोर रूम में साफ–सफाई कराने तथा अनुप्रयोग / अकियाशील उपकरण / सामाग्री को	CHC Suptt./SN

Scanned by CamScanner

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
	तत्काल स्टोर रूम से हटाने हेतु अवगत कराया गया।	
• प्रसव कक्ष में रनिंग वाटर की व्यवस्था नही थी।	मानकारूप प्रसव कक्ष में रनिंग वाटर की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया गया।	CHC Suptt & Team
• प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स का अभी तक कोई भी प्रशिक्षण नहीं हुआ है।	जिला स्तर पर प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार कर प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ नर्स / ए0एन0एम0 आदि की सुरक्षित प्रसव से सम्बन्धित प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन कर प्रशिक्षण कार्य योजना राज्य स्तर पर प्रेषित करने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा सलाहकार मातृ स्वास्थ्य को अवगत कराया।	DPM/Con.MH/ Con.Quality
• माह अप्रैल 19 से भ्रमण दिनांक तक कुल 148 प्रसव की सूचना का अंकन प्रसव पंजिका में पाया गया • प्रसव पंजिका में माह की संक्षिप्त सूचना का विवरण नहीं बनाया जा रहा है।	प्रसव पंजिका में अथवा अन्यत्र पंजिका में माह में सम्पादिक प्रसव तथा प्रसव का पूर्ण विवरण की सूचना मासिक एवं क्रमिक बनाने हेतु स्टाफ नर्स को जानकारी प्रदान की गई तथा किन किन बिन्दुओं को सूचना में सम्मिलित करना है उसका विवरण सलाहकार मातृ स्वावस्थ्य को नोट कराया गया।	Staff Nurse & Con.MH
• स्टाफ नर्स द्वारा किसी भी प्रसूता का पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा है।	जनपद स्तर पर कार्यरत नर्स मेन्टर के सहयोग से ब्लाक स्तर पर या फिर जनपद स्तर पर सभी प्रसव इकाइयों की स्टाफ नर्स का बैच बनाकर बैचवार पार्टोग्राफ भरने पर उन्मुखीकरण कराने हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक तथा सलाहकार मातृ स्वास्थ्य को अवगत कराया गया।	Con.MH/Nurse Mentor/ Con.Quality
• प्रसव पंजिका का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि प्रसव के उपरान्त लाभार्थी 3 से 4 घंटे के अन्दर ही घर वापस चली जा रही है । केवल रात्रि में होने वाले प्रसव ही सुबह तक रूकते है।	प्रसूता को चिकित्सालय में 72 घंटे रूकने हेतु प्रेरित करने हेतु स्टाफ नर्स को अवगत कराया गया।	CHC Suptt/SN
• स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मात्र ब्रेड का दूध का पैकेट दिया जा रहा है।	जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत प्रसूता को पूरा भोजन देने हेतु जानकारी प्रदान की गई।	DPM /CHC Suptt/ /BPM
• रेफरल रजिस्ट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि रजिस्टर में किस कारण से मरीज को रेफर किया जा रहा है, वह स्पष्ट रूप से नहीं भरा जा रहा है वरन मात्र लेबर पेन लिखकर ही लाभार्थी को रेफर किया जा रहा है।	रेफरल पंजिका में मरीज को किस कारण से रेफर किया जा रहा है उसका पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु जानकारी प्रदान की गई।	Staff Nurse
• 102 0 108 का रजिस्टर भी अद्यनान्त नहीं था। पंजिका में भर्ती दिनांक एवं डिसचार्ज दिनांक की सूचना नहीं अंकित की जा रही है एवं सम्बन्धित द्वारा सत्यापित भी नहीं किया जा रहा है।	शासन से प्रदत्त प्रारूप पर 102 व 108 की पंजिका बनाने तथा पंजिका में भर्ती दिनांक एवं डिसचार्ज दिनांक की सूचना का अंकन व दैनिक आधार पर सक्षम से हस्ताक्षरित कराने का सुझाव दिया गया।	BPM/CHC Suptt/SN
वार्ड • महिला वार्ड में कुल 6 वेड लगे है, वार्ड में खिड़की में पर्दे नहीं लगे है। • AES/JES संक्रामक वार्ड में 4 बेड लगे है , वार्ड में खिडकी पर पर्दे लगे नहीं है। वार्ड में एक ही स्टाफ नर्स कार्यरत है । स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि Hyper Pyrexia के जनवरी 2019 से अभी तक कुल 41 मरीज	सभी वार्डो में खिडकी पर परदे लगाने,बेड पर साफ चादरे व साफ सफाई हेतु अवगत कराया गया।	CHC Supt, Releated Staff Nurse

Scanned by CamScanner

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
भर्ती हुए हैं तथा सभी मरीज उपचारित किये गये। • पी0एन0सी0 वार्ड में 1 बेड लगा है । बेड पर पडी चादर एवं पिलो गंदी अवस्था में पाये गये। • इमेंरजेंसी वार्ड में 2 बेड लगे है ।		
अभिलेख– • जे0एस0एस0के0 कार्यकम के अन्तर्गत लाभार्थी को प्रदान किये जा रहे भोजन के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोंकन करने पर ज्ञात हुआ कि माह में होने वाले सभी प्रसव का रू0 90 प्रति प्रसव की दर से भुगतान किया जा रहा है जबकी भोजन में मात्र दूध और ब्रेड दिया जा रहा है।	प्रसव उपरान्त चिकित्सालय में प्रसूता के रूकने व जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत प्रति डाइट के भुगतान में विरोधाभास है। 3 से 4 घंटे रूकने पर प्रति लाभार्थी 90 रू0 का भुगतान किया जा रहा है जो कि संदेहास्पद है। जिला कार्यकम प्रबन्धक को कार्यकम की समीक्षा जनपद स्तर पर करते हुए जे0एस0एस0के0 भोजन की गुणवत्ता तथा मानकारूप भुगतान हेतु सुझाव दिया गया।	ACMO RCH/DAM/CHC Suptt & BAM
• रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख / बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि विभिन्न प्रकार के फर्मो को कई भागों में रिपेयरिंग एवं क्लीनिंग मद में ही भुगतान किया गया है। आर0के0एस0 मद से अप्रैल, 2019 से अब तक कुल 89000/– का पेमेंट कर दिया गया है। • रोगी कल्याण समिति की बैठक का रजिस्टर अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया बताया गया कि एच0ई0ओ0 के पास है और एच0ई0ओ0 आज चिकित्सालय में नही है।	रोगी कल्याण समिति की बैठक पंजिका उपलब्ध न होने के कारण प्रस्ताव एवं स्वीकृत का सत्यापन न हो पाया जिला कार्यकम प्रबन्धक को स्वयं स्तर से अवलोंकन हेतु अवगत कराया गया तथा यह भी सुझाव दिया गया कि विभागीय पत्रावलियों / अलमारियों की चाभी अवकाश पर होने की दशा में चिकित्सालय में उपलब्ध करा दिया जाय।	DPM & DAM
• आशा कार्यकम के अन्तर्गत माह जुलाई 2019 तक आशाओं का भुगतान किया गया है। • आशा एडिसनलिटी मद में नवीन दर से आशाओं का भुगतान किया जा रहा है जबकी बाउचर पुराने दर वाले भरे गये है। माह अप्रैल 19 से जुलाई 19 तक के सभी बाउचर इसी प्रकार के पाये गयें।	नवीन वाउचर पर भुगतान करने हेतु सुझाव दिया गया । पुराने वाउचर पर नवीन दर से किये गये भुगतान को लिखित में लेते हेतु सक्षम से प्रमाणित कराने हेतु भी सुक्षाव दिया गया कि किन परिस्थितियों में पुराने वाउचर पर भुगतान किया गया है। किसी भी परिस्थित में भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो उक्त हेतु बी0सी0पी0एम0 को अवगत कराया गया।	ACMO RCH/DCPM/CHC Suptt & BCPM
• जे0एस0वाई0 आशा भुगतान का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि लगभग 40 प्रतिशत आशायें ऐसी है जिनके द्वारा कोई भी प्रसव का केस नहीं कराया गया है तथा भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है।	लगभग 40 प्रतिशत आशाओं द्वारा माह अप्रैल से भ्रमण माह तक जननी सुरक्षा योजना में कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त पर बी0सी0पी0एम0 तथा चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आशाओं द्वारा जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत कोई भी प्रसव नहीं कराया गया है। ऐसी आशाओं को कलस्टर मीटिंग में क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं की सूची के साथ कुल संस्थागत व निजी चिकित्सालय में हुए प्रसव की नियमित समीक्षा करने तथा अपने क्षेत्र के प्रसव सामु0स्वा0केन्द्र में कराने हेतु अवगत कराया गया तथा उक्त को जिला स्वास्थ्य समिति में भी सम्मिलित करने हेतु डी0पी0एम0 को अवगत कराया गया।	ACMO RCH/DCPM/CHC Suptt & BCPM

Scanned by CamScanner

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
• आशा कलस्टर बैठक की पंजिका में पाया गया कि जो आशायें बैठक में नहीं आ रही है उनकी अनुपस्थिति नहीं लगाई गई है तथा बैठक की कार्यवृत्ति भी हस्ताक्षरित नहीं की गई है।	कलस्टर बैठक में अनुपस्थित रहने वाली आशाओं की हस्ताक्षर पंजिका में अनुपस्थित लगाई जाय तथा प्रत्येक माह की बैठक की कार्यवृत्ति तैयार कर सक्षम अधिकारी यथा चिकित्सा अधीक्षिका ,एच0ई0ओ0 व बी0सी0पी0एम0 द्वारा हस्ताक्षरित हो और सभी आशाओं के संज्ञानार्थ एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाय।	DCPM/CHC Suptt & BCPM
• आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत दो वाहन तथा पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 01 वाहन चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध है किन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 में अभी तक किसी भी वाहन के भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। ब्लाक लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्मो द्वारा बिल उपलब्ध न कराने के कारण भुगतान लम्बित है।	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण व आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत अनुबन्धित वाहन का भुगतान नियमित रूप से प्रतिमाह करने हेतु अवगत कराया गया तथा सम्बन्धित एजेन्सी को अनिवार्यतः प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान करने हेतु चिकित्सा अधीक्षिका को अवगत कराया गया।	RBSK Nodal officer/CHC Suptt & BAM
उपकेन्द्र गायघाट		
उपकेन्द्र गायघाट पर दो स्टाफ नर्स .सुश्री शीला, सुश्री चांदनी कार्यरत है। उपकेन्द्र का भवन अत्यन्त पुराना होने के कारण जगह–जगह सीलन लगी हुई है।	उपकेन्द्र की रंगाई–पुताई कराने हेतु प्रभारी अधिकारी एवं ए0एन0एम0 को अवगत कराया।	MOIC/BPM & ANM
उपकेन्द्र पर बायोमेडिकल बेस्ट के अन्तर्गत कलर्ड बिन उपलब्ध थे।	उक्त व्यवस्था हेतु उपकेन्द्र के स्टाफ की प्रशंसा की गई तथा नियमित रूप से बायोमेडिकल बेस्ट व्यवहार को अपनाने हेतु अवगत कराया गया।	
लेबर टेबल पर मात्र मेटनकास पडा था गद्दा नही था।	लेबर टेबल पर प्राथमिकता पर गद्दा डालने हेतु ए0एन0एम0 को अवगत कराया गया।	MOIC & ANM
उपकेन्द्र पर भ्रमण दिनांक तक कुल 45 प्रसव हुए है। उपकेन्द्र पर होने वाले प्रसव का भुगतान प्राथ0 स्वा0केन्द्र से किया जाता हे। उपकेन्द्र पर अधिक मात्रा में Inj. Oxytocin लगभग 200 एम्पुल भ्रमण के समय पाये गये जों कि खुले में रखे गये थे।	प्रसव लोड के सापेक्ष अत्यधिक मात्रा में Inj. Oxytocin स्टोर से निर्गत न किया जाय इस हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं डी0पी0एम0 को अवगत कराया गया तथा स्वयं के सामने उक्त 200 वायल Inj. Oxytocin को चिकित्सा इकाई वापस कराया गया।	DPM/MOIC & Pharmacits
उपकेन्द्र पर अधिक मात्रा में अनुपयोगी सामान / कण्डम सामान एकत्रित थे।	अनुपयोगी सामाग्री / कण्डम सामान की आइटमवार सूची तैयार कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उक्त सामाग्री को कण्डम घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने हेतु ए0एन0एम0 को अवगत कराया गया तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उक्त हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया गया।	CMO/ACMO RCH/MOIC/ANM
उपकेन्द्र में रनिंग वाटर की व्यवस्था नही थी । शौचालय में भी गंदगी व्याप्त थी।	शौचालय की साफ सफाई कराने हेतु ए0एन0एम0 को अवगत कराया गया ।	ANM
उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 द्वारा निवास किया जाता है तथा 24X7 की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है।	ए0एन0एम0 द्वारा उपकेन्द्र पर निवास करने तथा 24X7 स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त कराने हेतु ए0एन0एम0 की प्रशंसा की गई।	
उपकेन्द्र में नियमित टीकाकरण के 8 सत्र लगाए जाते हैं। उपकेन्द्र द्वारा कुल 7900 की जनसंख्या आच्छादित की जाती है तथा कुल 07 आशायें उपकेन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत है। भ्रमण समय तक क्षेत्र में कुल 90 गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं जिनमें से 12 एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाएं हैं।ए0एन0एम0 द्वारा सूचनाओं	ए0एन0एम0 द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से सूचनाओं का संकलन करने पर ए0एन0एम0 की प्रशंसा की गई तथा चिन्हित 12 एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं के नियमित जाँच व सुरक्षित प्रसव हेतु ए0एन0एम0 को प्रेरित किया गया।	

Scanned by CamScanner

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
का रख–रखाव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया है		
उपकेन्द्र पर लक्ष्य दम्पति से सम्बन्धित पंजिका नही पायी गई।	उपकेन्द्र पर राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य दम्पति पंजिका की व्यवस्था करानें हेतु डी0पी0एम0. को अवगत कराया गया।	DPM

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कुदरहा, बस्ती, दिनांक–29.08.2019

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
• भ्रमण दल सांय 6.00 बजे जब चिकित्सा इकाई कुदरहा पहुँची उस समय ओ0पी0डी0 बंद हो चुकी थी तथा इमरजेन्सी में मरीज देखे जा रहे थे। चिकित्सा इकाई पर पर्चे एवं औषधि वितरण का कार्य एक ही कमरे में संचालित किया जा रहा था।	औषधि वितरण एवं पंजीकरण हेतु अलग–अलग काउन्टर बनाने हेतु अवगत कराया गया ।	MOIC & Team
• चिकित्सा इकाई पर वर्तमान में जो भी दवा इकाई पर उपलब्ध है उसकी सूची हिन्दी में दवा वितरण कक्ष के सामने लगी पायी गई ।	चिकित्सालय में उपलब्ध औषधियों का विवरण हिन्दी में प्रदर्शित करने पर चिकित्सालय के टीम की प्रशंसा की गई।	
• पैथालाजी में एल0टी0 उपस्थित पाये गयें। • लैब में एच0बी0, मलेरिया, टॉयफाइड ,एच0सी0बी0 आदि की जाँच की जा रही है। एल0 टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 3 महीनों से किट उपलब्ध न होने के कारण सिफलिस की जांचे तथा विगत 10 दिन से प्रेगनेन्सी जाँच किट न होने के कारण प्रेगनेन्सी की जाँच नहीं हो पा रही है।	सिफलिस जाँच किट एवं प्रेग्नेन्सी जाँच किट के मांग हेतु मांगपत्र बनाकर जनपदीय स्टोर से सम्पर्क करने एवं अपर मु0 चिकित्सा अधिकारी एन0एच0एम0 के संज्ञान में लाने हेतु अवगत कराया गया तथा यह भी अवगत कराया कि आवश्यकता का आंकलन कर पूर्व में ही 15 दिन के स्टाक की स्थिति के अनुसार जनपद को मांगपत्र प्रेषित कर सामाग्री प्राप्त कर ली जाय।	MOIC & Team
• पैथालाँजी लैब में हाथ धोने हेतु साबुन का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा एल0बो0 टैब भी नहीं लगे पाए गए। • पैथालाजी में अभिलेखों का रख–रखाव सही पाया गया।	पैथाँलाजी में एल0बो0 टैब तथा हाथ धोने हेतु लिक्विड सोप की व्यवस्था हेतु एल0टी0 तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत करारया।	MOIC & Team
• एल0टी0 द्वारा बताया गया कि वर्तमान में टॉयफाइड के केस ज्यादा आ रहे है। प्रतिदिन 10 से 12 केस आते है।	टॉयफाइड केस के चिकित्सीय प्रबन्धन एवं ओ0पी0डी0 में ऐसे मरीजों की सहायता हेतु हेल्प डेस्क बनाने का सुझाव दिया गया।	MOIC & Team
• माह जुलाई 19 में दो लाभार्थी /गर्भवती कुसुम व रूबी में रक्त की कमी पायी गई।	एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को एच0आर0पी0 की सूची में सम्मिलित करते हुए आगे के माहों में उनकी रक्त जाँच की सूचना से मिलान करते हुए हीमोग्लाबिन के स्तर में सुधार की समीक्षा करने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया।	MOIC & LT/LMO
• भ्रमण के समय पाया गया कि लैब में होने वाली जाँचों के विषय में सूचना का प्रदर्शन इकाई पर नहीं किया गया है।	• चिकित्सा इकाई पर पैथाँलाजी में होने वाली जाचे तथा उनके शुल्क/निःशुल्क के विषय में स्पष्ट प्रदर्शन वाल पेंन्टिंग/फ्लैक्स लगवाले हेतु अवगत कराया गया।	MOIC & Team
प्रसव कक्ष एवं प्रसूता वार्ड– • प्रसव कक्ष के बाहर शू–स्टैण्ड तथा प्रसव कक्ष में जाने हेतु अलग से चप्पल की व्यवस्था पायी गई। जिस हेतु अधीक्षक की प्रशंसा की गई।	उक्त व्यवस्था हेतु चिकित्सीय टीम की प्रशंसा की गई।	

Scanned by CamScanner

• प्रसव कक्ष में दो लेबर टेबल पाये गये तथा दोनों टेबल के मध्य पार्टीशन हेतु हैवी कर्टन का प्रयोग किया गया है।	लेबर टेबल के मध्य मानकारूप निर्धारित परदे लगाने का सुझाव दिया गया।	MOIC & Team
• प्रसव कक्ष में स्टाफ नर्स ड्यूटी पर उपस्थित पायी गई। • प्रसव कक्ष में साफ–सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पायी गई। • मनकारूप प्रोटोकाल पोस्टर लगे थे। • मानकारूप पी0एच0सी0 पर 5 ट्रे प्रसव कक्ष में पायी गई। • स्टाफ पर्स द्वारा Inj. Oxytocin को कोल्ड बाक्स में रखा गया था। • प्रसव कक्ष में रेडियन्ट वार्मर कियाशील अवस्था में पाया गया।	प्रसव कक्ष में साफ/सफाई एवं दवाइयों व अभिलेखों के व्यवस्थित रख–रखाव हेतु उपस्थिति स्टाफ नर्स की प्रशसां की गई।	
• प्रसव कक्ष में ए0सी0 नहीं लगा है। • माह अप्रैल 19 से भ्रमण के समय तक कुल 607 प्रसव की सूचना का अंकन प्रसव पंजिका में पाया गया। • डाइट रजिस्टर का अंकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रसूताओं को सुबह नाश्ते में दूध के साथ फल तथा दोपहर व रात्रि के भोजन में दाल,चावल,सब्जी व रोटी उपलब्ध कराया जाता है। • वार्ड में प्रसूताओं (जैनब खातून,कमलेश,तारा)से पूछने पर उनके द्वारा भी बताया गया कि सुबह नाश्ते में दूध के साथ फल तथा दोपहर व रात्रि के भोजन में दाल,चावल,सब्जी व रोटी उपलब्ध कराया गया है। • वार्ड में स्टाफ नर्स पूनम राव उपस्थित पायी गई जो कि प्रसूताओं की देख–भाल कर रही थीं।	प्रसव कक्ष में ए0सी0 की व्यवस्था करने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया।	MOIC & Team
• वार्ड में नवजात को बहुत ही गंदे कपडो में घरवालों द्वारा लिटाया गया था तथा बेड पर घरवालों द्वारा चाकू/ आदि सामान भी रखा गया था।	बच्चें के देखभाल हेतु घरवालों द्वारा साफ सूती कपडे की व्यवस्था करने हेतु उन्हे प्रेरित करने तथा नवजात को गंदे व मौसम के अनुसार कपडे न पहनाने पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में वार्ड में प्रसूता तथा घरवालों को परामर्श प्रदान करने हेतु स्टाफ नर्स को जानकारी प्रदान की गई साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने हेतु कहा गया कि नवजात के पास नुकीले सामाग्री यथा चाकू/कैंची आदि न रखें व सरसों के तेल से नवजात की मालिश भी न करें।	MOIC /Staff Nurse & BCPM
कोल्ड चैन– • टीम द्वारा चिकित्सा इकाई में कोल्ड चैन कक्ष का निरीक्षण किया गया। कोल्ड चैन कमरे में आई0ई0सी0 की कमी पाई गई। कोल्ड चैन कक्ष में साफ–सफाई की कमी पाई गई। कोल्ड चैन कक्ष में रोशनी की कमी पाई गई। वैक्सीन रजिस्टर का निरीक्षण किया गया। जिसमे निम्न वैक्सीन पाई गई– • बी0सी0जी0–330 • ओ0पी0वी0–1660 • डी0पी0टी0–670 • हेपेटाइटिस बी–420	कोल्ड चैन कक्ष में प्रकाश की समुचित व्यवस्था,आई0ई0सी0 का प्रदर्शन तथा साफ–सफाई हेतु सुझाव प्रदान किया गया।	CCH/VCCM

Scanned by CamScanner

• आई0पी0वी0–300 • जे0ई0–145 • एम0आर0–200 • टी0डी0–1280 • पी0सी0वी0–1116		

जिला महिला अस्पताल, बस्ती, दिनांक 30.08.2019

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
• भ्रमण दल प्रातः 10.00 बजे जिला महिला चिकित्सालय पहुँचकर सर्वप्रथम चिकित्सा अधीक्षक डा0 अवधेश कुमार सिंह से मिलकर भ्रमण के उद्देश्य से उन्हे अवगत कराने के उपरान्त हॉस्पिटल मैनेजर नैना के साथ चिकित्सालय का भ्रमण प्रारम्भ किया।चिकित्सा इकाई के प्रसूता वार्ड का निरीक्षण किया गया। वार्ड में कुल 6 बेड है और हर बेड पर 02 मरीज लेटे हुए पाये गये। वार्ड में मरीज के तीमारदार मरीज के साथ बेड पर ही बैठे पाए गए। वार्ड में लगा पंखा बहुत ही पुराना होने के कारण उससे हवा नहीं लग रही थी जिस कारण से वार्ड में बहुत ही गर्मी थी।मरीज द्वारा स्वंय घर से लाकर बेड साइड पंखा लगाया गया था। वार्ड में भीड ज्यादा होने के कारण घुटन का वातावरण था।	प्रसूता वार्ड में तीमारदारों की अत्यधिक भीड को नियन्त्रित करने तथा वार्ड में साफ–सफाई की व्यवस्था करानें हेतु सुझाव दिया गया।	CMS/Hospital Manager
• नवजात शिशु को परिवार वालों द्वारा घर से लाये गये बहुत ही गंदे ऊनी/सीफान/पॉलिस्टर के कपड़े मे रखा गया था।	बच्चें के देखभाल हेतु घरवालों द्वारा साफ सूती कपडे की व्यवस्था करने हेतु उन्हे प्रेरित करने तथा नवजात को गंदे व मौसम के अनुसार कपड़े न पहनाने पर होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में वार्ड में प्रसूता तथा घरवालों को परामर्श प्रदान करने हेतु स्टाफ नर्स को जानकारी प्रदान की गई साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने हेतु कहा गया कि नवजात के पास नुकीले सामाग्री यथा चाकू/कैंची आदि न रखें व सरसों के तेल से नवजात की मालिश भी न करें।	LMO/Hospital Manager / Staff Nurse
• आपरेशन से होने वाले प्रसव को चिकित्सालय के गैलरी में लगाये गये बेड पर रखा गया था। इस प्रकार के कुल 06 बेड लगे पाये गये। • जनरल वार्ड में 12 बेड तथा सेप्टिक लेबर रूम से लगे वार्ड में 8 बेड कियाशील पाये गयें। • सभी वार्डो में मरीज तथा मरीज के तीमारदारों की भीड पायी गई।	खुले में गैलरी में आपरेशन वाले प्रसव के लाभार्थियों के बेड लगाये जाने पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा इस प्रकार इन्फेक्सन का खतरा भी होने की संभावना व्यक्त की गई। आवश्यकतानुसार अन्यत्र वार्ड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	CMS/LMO/SN

Scanned by CamScanner

प्रसव कक्ष– • चिकित्सा इकाई पर 03 प्रकार के प्रसव कक्ष कियाशील पाये गयें । सामान्य प्रसव कक्ष,सेप्टिक प्रसव कक्ष एवं ओटी। • सामान्य प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया गया। प्रसव कक्ष में 03 लेबर टेबले कारण प्रसव कक्ष का त्मदवअंजपवद कराये जाने की योजना बनाई गई है जिस कारण से प्रसव कक्ष में भ्रमण के समय मानकारूप व्यवस्थायें कियाशील नहीं पायी गई। • कैलिस पैड में हवा भरी नहीं पाई गई। लेबर टेबल स्टैण्ड जंग अवस्था में पाई गई। मेडिसीन ट्रे में छोटे–छोटे डिब्बे काटकर मेडिसिन रखी गई थी।	पंचर कैलिस पैड को हटाकर नया कैलिस पैड रखने तथा नियमित हवा चेक करने , जंग लगी लेब्र टेबल को पेंट करानें/नयी टेबल की व्यवस्था, मेडिसिन ट्रे में ग्लूकोज के प्लास्टिक के डब्बों को काटकर दवा रखने पर असन्तोष व्यक्त किया गया उक्त के स्थान पर रोगी कल्याण समिति/जे0एस0वाई एडिमिनिस्ट्रेशन से छोटे छोटे बाक्स की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया गया।	Hospital Manager/ Staff Nurse
• लेबर टेबल के मध्य नार्मल काटन के परदे लगाये गये थे। • प्रसव कक्ष में डिजिटल घडी एवं डिजिटल बजन मशीन लगी पायी गई। • मानकानुरूप 07 मेडिसिन ट्रे व्यवस्थित पाया गया।	• लेबर टेबल के मध्य मानकारूप निर्धारित परदे लगाने का सुझाव दिया गया।	Hospital Manager/Staff Nurse
• Inj. Oxytocin रेफ्रिजरेटर में रखा पाया गया।	• Inj. Oxytocin को मानकारूप रेफ्रिजरेटर में रखने पर स्टाफ की प्रशंसा की गई।	
• प्रसव कक्ष में कुल 06 स्टाफ नर्स रोस्टर के अनुसार कार्यरत है। • प्रसव पंजिका का अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि माह अप्रैल 2019 से भ्रमण दिनांक तक कुल 1549 प्रसव सामान्य प्रसव कक्ष में सम्पादित पाये गयें। • केस सीट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि सभी प्रसूताओं का पार्टेग्राफ नहीं भरा जा रहा है।	सभी प्रसव का पार्टोग्राफ भरने हेतु अवगत कराया गया तथा समय समय पर पार्टोग्राफ भरने के सम्बन्ध में कार्यरत स्टाफ नर्स के संवेदीकरण हेतु हॉस्पिटल मैनेजर को अवगत कराया गया।	Hospital Manager/Nurse Mentor/Staff Nurse
• भोजन पंजिका का अवलोकल करने पर संज्ञान में आया कि चिकित्सालय में मरीज के साथ एक तीमारदार को भी जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन दिया जा रहा है। • उक्त के सन्दर्भ में स्टाफ नर्स से पूछने पर स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि महानिदेशक के आदेश के क्रम में मरीज के तीमारदार को भी भोजन दिया जा रहा है।(आदेश की प्रति संलग्न)		
• 28.7.2019 के बाद भोजन पंजिका सही से नहीं भरी गई है और न ही सक्षम द्वारा सत्यापित की गई है। • भोजन पंजिका में अंकित सूचना के अनुसार माह जुलाई 19 तक ही भोजन की गुणवत्ता जाँची गई है । माह अगस्त में भोजन की गुणवत्ता नहीं जाँची गई है।	दैनिक आधार पर नियमित भोजन पंजिका को अद्युनान्त करने तथा भोजन की गुणवत्ता की जाँच करने व सक्षम द्वारा सत्यापित कराने का सुझाव दिया गया।	Sister Incharge / Staff Nurse
• वार्ड में लाभार्थी ज्योति पत्नी श्री सावन,शबीना,से चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं तथा भोजन के बारे में पूछने पर उनके द्वारा सुविधाओं से संतुष्टि होने की बात स्वीकार की गई तथा अवगत कराया गया कि सुबह नाश्ते में दूध के साथ केला या ब्रेड तथा दोपहर व रात में भोजन में दाल,चावल,सब्जी तथा 04 रोटी चिकित्सालय से दिया जाता है।		

Scanned by CamScanner

सेप्टिक प्रसव कक्ष • सेप्टिक प्रसव कक्ष में 03 लेबर टेबल कियाशील अवस्था में पाये गयें। • सटाफ नर्स से पूछे जाने पर कि किन केसों को सेप्टिक प्रसव कक्ष में प्रसव हेतु लाया जाता है तो अवगत कराया गया कि—APH,Prolong Lab. Pain, Eclamsia, Anaemia, Premature Rapture Membrane, rapture of Manbrane,Pregnancy Induse,Sever Pre Eclamp,Infection Sepsis,Preterm Lab & other आदि से सम्बन्धित केसों का प्रसव सेप्टिक लेबर रूम में कराया जाता । • भ्रमण के समय दो लाभार्थी प्रसव हेतु प्रसव कक्ष में भर्ती थी। • प्रसव कक्ष से दुर्गन्ध आ रही थी और गर्मी बहुत थी। कक्ष में लगा ए0सी0 कार्य नहीं कर रहा था।	सेप्टिक प्रसव कक्ष में साफ–सफाई कराने, ए0सी0 को कियाशील कराने हेतु अवगत कराया गया।	Staff Nurse
• माह की संक्षिप्त /Summary Report नहीं बनाई जा रही है। • स्टाफ नर्स द्वारा अवगत कराया गया कि सेप्टिक लेबर रूम की रिर्पोटिंग माह की 1 से 30 तारीख तक की जाती है। • सेप्टिक प्रसव कक्ष में भी प्रसूताओं का पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा है।	मासिक एवं कमकि प्रगति सूचना का सारांश वनाने तथा उसका प्रदर्शन करने हेतु अवगत कराया गया । चार्ट पर HMIS & UPHMIS portal पर प्रसव से सम्वन्धित उपलब्ध बिन्दुओं पर सूचना तैयार करने हेतु अवगत कराया गया जिससे मासिक सूचना प्रेषण एवं अवलोकन में सुविधा हो और सूचनाओं की Duplicacy न होने पायें।	Hospital Manager
ओ0 टी0– • चिकित्सा इकाई पर दो ओ0टी0 कियाशील है एक में महिला नसबन्दी तथा दूसरे में सल्यकिया द्वारा प्रसव कराया जाता है। • माइनर ओ0टी0 में हाइड्रोलिक लाइट खराब थी । • अप्रैल से भ्रमण दिनांक तक कुल 22 महिला नसबन्दी के केस हुए है। • माह अप्रैल 19 से भ्रमण दिनांक तक कुल 1071 प्रसव आपरेशन से कराये गये है। • ओ0टी0 में साफ–सफाई संतोषजनक पायी गई। • मेन ओ0टी0 में हाइड्रोलिक टेबल पर लगा कैलिसपैड पंचर था उसमें हवा नहीं थी।	ओ0टी0 में हाइड्रोलिक लाइट को सही कराने हेतु अवगत कराया गया तथा टेबल पर लगे कैलिसपैड में हवा भरने हेतु /बदलने हेतु अवगत कराया गया।	Sister incharge/Staff Nurse
• डिस्पोजवेल सिरिंज खुले में रखी गई थी। • इन्जेक्सन की खाली शीशियों को खुले में गत्ते में एकत्रित किया गया है।	बायो मेडिकल बेस्ट के मानकारूप डिस्पोजवेल सिरिंज/ इन्जेक्सन की खाली शीशियों को संग्रहित करने हेतु सुझाव दिया गया।	Hospital Manager/ Staff Nurse
• स्टेलाइजेशन कक्ष में एक आटो क्लेव अकियाशील अवस्था में पाया गया। • उपस्थित स्टाफ से पूछने पर अवगत कराया गया कि सायरेक्स से कर्मचारी आकर उपकरण को देखकर गये है।	सायरेक्स के कर्मचारी से पुनः सम्पर्क स्थापित कर उपकरण को सही कराने का सुझाव प्रदान किया गया।	
• उपकरणों के स्टेलाइजेशन की लागबुक बनी है और भरी भी गई है किन्तु सक्षम द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और न ही स्टीकर लगा है।	स्टेलाइजेशन की लागबुक को सक्षम से हस्ताक्षरित कराने तथा स्टीकर लगाने हेतु अवगत कराया गया।	Staff Nurse

Scanned by CamScanner

एस0 एन0 सी0 यू0– • भ्रमण के समय एस0एन0सी0यू0 में एक चिकित्सा अधिकारी डा0 पंकज तथा 02 स्टाफ नर्स उपस्थिति थी। • एस0एन0सी0यू0 वार्ड में 17 रेडियन्ट वार्मर,07 फोटोथेरेपी तथा 08 पल्स आक्सीमीटर लगे हैं । 02 पल्य आक्सीमीटर अकियाशील पाये गयें। • भ्रमण के समय वार्ड में 24 नवजात एडमिट थे जिनमें से 10 Out Born और 14 In born थे। • कुल 10 स्टाफ नर्स(संविदा), 03 पी0एम0एस0 के डाक्टर ,03 आया,03 सफाई कर्मी तथा 03 गार्ड वार्ड में 24X7 कार्यरत है।	एस0एन0सी0यू0 में संविदा के रिक्त चिकित्सा अधिकारी के चयन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति एवं राज्य स्तर पर पत्र प्रेषित कर कार्यवाही कराने हेतु अवगत कराया गया।	CMS/DPM/Hospital Manager
• एस0एन0सी0यू0 वार्ड में नियुक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर कई माह से जिलाधिकारी कार्यालय में सम्बद्व है और वही पर कार्य करता है जिससे एस0एन0सी0यू0 के लिपिकीय कार्य एवं रिर्पोटिंग प्रभावित होती है।	एस0एन0सी0यू0 वार्ड में नियुक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर को जिलाधिकारी कार्यालय से कार्य मुक्त कराने/सप्ताह में निर्धारित कार्यदिवसों में एस0एन0सी0यू0 का कार्य भी सम्पादित करने हेतु उक्त प्रकरण को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में एजेण्डा के रूप में सम्मिलित करने हेतु सुझाव दिया गया।	CMS/DPM/ACMO RCH
• वार्ड में न ही इन्टरनेट कनेक्सन है और न ही अपना लैण्डलाइन फोन है।	एस0एन0सी0यू0 कार्यक्रम के दिशा निर्देश में प्रदत्त निर्देशानुसार वार्ड में लैण्डलाइन फोन एवं इन्टरनेट कनेक्शन की व्यवस्था प्राथमिकता पर कराने हेतु अवगत कराया गया।	CMS & Team
• जनवरी, 2019 से अगस्त, 2019 तक कुल 752 बच्चे एस0एन0सी0यू0 में भर्ती हुए हैं। • अगस्त, 2019 में कुल 141 मरीज भर्ती हुए है। • वेड आक्यूपेन्सी लगभग 80 प्रतिशत है। • एस0एन0सी0यू0 कक्ष के बगल में पानी का टैब खुले होने के कारण पानी बह रहा था।	वास बेसिन को बडा करने तथा पानी के निकासी की व्यवस्था कराने हेतु अवगत कराया गया।	CMS & Team
के0एम0सी0 वार्ड– • के0एम0सी0 वार्ड हेतु कक्ष चिन्हित है। कक्ष में कुल 6 बेड लगे है। • भ्रमण के समय के0एम0सी0 वार्ड बंद पाया गया । बाद में एस0एन0सी0यू0 की स्टाफ द्वारा एस0एन0सी0यू0 के कार्य के उपरान्त वार्ड खोला गया । इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उक्त वार्ड पूर्णतया कियाशील नहीं है। • के0एम0सी0 वार्ड हेतु अलग से कोई स्टाफ नर्स नियुक्त नहीं है । एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा ही ए0एम0सी0 का कार्य देखा जाता है।	के0एम0सी0 वार्ड हेतु पूर्ण कालिक स्टाफ नर्स की व्यवस्था कराने हेतु अवगत कराया गया जिससे ओ0पी0डी0 समय में /निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदत्त कराई जा सके।	CMS/DPM/ACMO RCH
• वार्ड सुसज्जित था तथा साफ–सफाई थी। • वार्ड में के0एम0सी0 पंजीकरण हेतु प्रिन्टिंड रजिस्टर नहीं मिले। जनवरी, 2019 से अब तक कुल 1442 मरीजों को के0एम0सी0 हेतु भर्ती किया गया। अगस्त, 2019 मे कुल 150 मरीजों को के0एम0सी0 हेतु भर्ती किया गया।	वार्ड के अभिलेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा प्रदत्त कराई गई सुविधाओं के मासिक तथा कमिक प्रगति का विवरण भी तैयार कर प्रदर्शित करने हेतु सुझाव दिया गया।	Staff Nurse

Scanned by CamScanner

जिला अस्पताल, बस्ती, दिनांक 30.08.2019

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
एन0आर0सी0– • जिला चिकित्सालय बस्ती के एन0आर0सी0 का निरीक्षण किया गया। एन0आर0सी0 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदत्त चिकित्साधिकारी एव केयर टेकर का पद रिक्त है तथा 05 स्टाफ नर्स, डाइटीशियन,, रसोइया तथा स्पीकर कार्यरत है।	एन0आर0सी0 में संविदा के रिक्त चिकित्सा अधिकारी तथा केयर टेकर के चयन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति एवं राज्य स्तर पर पत्र प्रेषित कर कार्यवाही कराने हेतु अवगत कराया गया।	CMS/DPM/ACMO RCH
• एन0आर0सी0के किचन में साफ–सफाई का अभाव पाया गया। फ्रिज का डिफ्रास्ट टूटा पाया गया। अनाज के डिब्बों में कीडे पाये गये।	नियमित साफ सफाई कराने हेतु सुझाव दिया गया। खाने के सामाग्री की नियमित साफ सफाई करने का सुझाव दिया गया। जिन डिब्बों में सामान को एकत्रित किया जाता है दैनिक आधार पर उनका निरीक्षण किया जाय तथा साफ किया जाय जिससे अनाज को कीडों से बचाया जा सके।आवश्यकतानुसार ही सामाग्री का कय कराया जाय।	Staff Nurse & Hospital Manager
• एन0आर0सी0 में कुल 10 कियाशील पाये गये । भ्रमण के समय कुल 06 बच्चे भर्ती थे। • भ्रमण के समय एन0आर0सी0 में दवाएं विटामिन 'ए' कैल्शियम, जिंक, पोटैशियम क्लोराइड, मैग्निशियम सल्फेट, आई0एफ0ए0 सिरप पाई गई। • माह अप्रैल 19 से भ्रमण दिनांक ते कुल 63 बच्चों का इलाज एन0आर0सी0 में किया गया है जिनमें से 30 बच्चे ओ0पी0डी0 से तथा 33 बच्चें आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा संदर्भित किये गये है। • एन0आर0सी0 में टी0बी0 कियाशील अवस्था में पायी गई। • एन0आर0सी0 में बच्चों के मनोरेजन/खेलने के साधन/खिलौने नहीं है।	बच्चों के मनोरंजन हेतु सामान की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तर पर प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	CMS & ACMO RCH
एन0सी0डी0 • टीम द्वारा एन0सी0डी0 का निरीक्षण किया गया। • चिकित्सालय पर एन0सी0डी0 क्लिनिक में ओ0पी0डी0 सोमवार एवं बुद्धवार के दिन होती है। • एन0सी0डी0 क्लीनिक में मेडिकल ऑफिसर, काउन्सलर एवं फिजियोथिरेपिस्ट कार्यरत हैं तथा भ्रमण के समय उपस्थित पाये गये। • एन0सी0डी0 क्लीनिक में आई0ई0सी0 सामाग्री के प्रदर्शन का अभाव पाया गया।	एन0सी0डी0 क्लीनिक में कार्यकम के प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित आई0ई0सी0 के प्रदर्शन हेतु सुझाव दिया गया।	NCD Nodal Officer & NCD Team

Scanned by CamScanner

• एन0सी0डी0 में कार्यरत डाटा आपरेटर जिलाधिकारी बस्ती के वहां सम्बद्व है। • टीम द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर कैम्प लगाये जाने की सूचना प्रदान की गई।	एन0सी0डी0 क्लीनिक में नियुक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर को जिलाधिकारी कार्यालय से कार्य मुक्त कराने/सप्ताह में निर्धारित कार्यदिवसों में एन0सी0डी0 क्लीनिक का कार्य भी सम्पादित करने हेतु उक्त प्रकरण को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में एजेण्डा के रूप में सम्मिलित करने हेतु सुझाव दिया गया।	CMS/DPM/ACMO RCH
• चिकित्सालय में मनकक्ष नहीं बना है तथा मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की नियुक्ति भी नही की गई है। • ओपेक कैली चिकित्सालय में कार्यरत मनोवैज्ञानिक चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय बस्ती में दो साप्ताहिक कार्यदिवस सोमवार एवं बुद्वार को वैकल्पिक ओ0पी0डी0 सेवायें प्रदान की जाती है। • स्टाफ नर्स श्रीमती नीलम श्रीवास्त्व तथा सायकेटिक शोसल वर्कर राकेश कुमार भ्रमण के समय उपस्थित पाये गयें जो कि चिकित्सालय के ओ0पी0डी0 में एक कक्ष में बैठकर परामर्श हेतु आने वाले मरीजों / पूर्व में पंजीकृत मरीजों को परामर्श व दवा का वितरण करते है। • उक्त कर्मियों द्वारा अवगत कराया गया कि माह में 08 कार्यदिवस में जनपद के विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर भ्रमण कर मानसिक बीमारियों तथा इनके लक्षणों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक किया जाता है। • कक्ष में दवाइयां अव्यवस्थित रूप से गत्ते में रखी हुई थी, प्रचार–प्रसार के लीफलेट/पम्पलेट भी अव्यवस्थित रूप रे रखे थे तथा दवाइयों से सम्बन्धित स्टाक बुक भी सही से नहीं भरा जा रहा है।	कक्ष में दवाइयों तथा प्रचार–प्रसार के लीफलेट/पम्पलेट को व्यवस्थित रूप से रखने तथा स्टाक बुक में सही से इन्ट्री करने हेतु अवगत कराया गया।	Concern Staff Nurse & Psy. Social Worker
ब्लड बैंक • टीम द्वारा जिला अस्पताल में सचालित ब्लड बैंक का निरीक्षण किया गया। • निरीक्षण के समय ब्लड बैक में दिनांक 30.08.2019 को स्टाक पोजीशन निम्नवत् पाया गया– Positive: A-03, B-06, O-15, AB-06 Negative: A-02, B-Nill, O-Nill, AB-Nill	Positive & Negative यूनिट के रक्त को प्रदर्शित करने हेतु A+ & A- चिन्ह का प्रयोग करने हेतु सुझाव दिया गया।	LT
• भ्रमण के समय सहयोगी एल0टी0 ब्लड बैंक एवं प्रभारी रक्तकोष को रक्त संग्रहण कक्ष में लगे बेड/डोनर के रिफ्रेशसमेन्ट हेतु को अन्यत्र सिफ्ट करने हेतु अवगत कराया गया।	रक्त संग्रहण कक्ष में लगे बेड/डोनर के रिफशसमेन्ट हेतु को अन्यत्र सिफ्ट करने हेतु अवगत कराया गया।	Incharge BB & LT
• ब्लड कलेक्शन कक्ष में तीन काउच पाए गए। कक्ष में बिजली के स्विच बोर्ड से निकले पाए गए। • एल0टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि रक्त की जाँच हेतु आवश्यक किट उ0प्र0रा0एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी से मिलता है एवं किट द्वारा ही सभी जाँचें की जाती है। • रक्तकोष में अभी एलाइजा टेस्ट नहीं किया जा रहा है क्योकि एलाइजा इन्सटाल नहीं किया गया है।	ब्लड कलेक्शन कक्ष में स्विच बोर्ड को सही कराने का सुझाव दिया गया। उपकरण एलाइजा को इन्सटाल कराकर रक्त का परीक्षण एलाइजा किट से करने हेतु अवगत कराया गया।	Incharge BB & LT

Scanned by CamScanner

• रक्तकोष में साफ–सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पायी गई। • रक्तकोष में मानकारूप निर्धारित प्रोसेसिंग चार्ज के सम्बन्ध में प्रदर्शन किया गया है ।	प्रोसेसिंग चार्ज के प्रदर्शन करने पर संतोष व्यक्त किया गया तथा टीम की प्रशंसा की गई।	
• रक्तकोष में स्थापित बी0सी0टी0वी0 की पी0आर0ओ0 मातृत्व अवकाश पर माह मई 19 से है किन्तु उनके अवकाश स्वीकृत के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख रक्तकोष/सी0एम0एस0 कार्यालय/मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया।	रक्तकोष /बी0सी0टी0वी0 के कर्मियों द्वारा अवकाश पर जाने पर स्वीकृत अवकाश की एक प्रति सूचनार्थ रक्तकोष में भी उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।	DPM/Incharge BB/All Staff BB
• माह अप्रैल 19 से भ्रमण दिनांक तक बी0सी0टी0वी0 द्वारा पूरे मण्डल में मात्र 06 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है जो कि अत्यन्त कम है।	बी0सी0टी0वी0 द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की प्रगति को बढाने हेतु रणनीति बनाने हेतु अवगत कराया गया।	Incharge BB
• रक्तकोष को आवंटित धनराशि रक्तकोष द्वारा खर्च नहीं की जा रही है उक्त के विषय में प्रभारी रक्तकोष को अवगत कराया गया	रक्तकोष की कार्यकमवार आवंटित धनराशि को नियमानुसार व्यय करने हेतु कार्य योजना बनाकर चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से खर्च कराने हेतु अवगत कराया गया जिससे रक्तकोष को आवश्यकतानुसार सुदृण किया जा सके एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधायें प्रदान की जा सकें।	Hospital Manager/Incharge BB/LT
• जिला चिकित्सालय बस्ती में हीमोफीलिया प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत हीमोफीलिया के मरीजो को निःशुल्क फैक्टर उपलब्ध कराया जाता है । उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सालय के अधिकांश कर्मियों को जानकारी नहीं है तथा चीफ फार्मासिस्ट द्वारा ओ0पी0डी0 से मांग आने पर सम्बन्धित को फैक्टर उपलब्ध करा दिया जाता है। कही पर भी मरीज के नामवार आवश्यक फैक्टर की सूचना, पंजीकृत मरीजों का विवरण आदि उपलब्ध नहीं पाया गया।	चिकित्सालय में पंजीकृत हीमोफीलिया से ग्रसित मरीजों की नामवार सूची तैयार करने तथा माह में फैक्टर की उपयोगिता की सूचना बनाने हेतु चीफ फार्मासिस्ट तथा हॉस्पिटल मैनेजर को अवगत कराया गया तथा उक्त हेतु राज्य स्तर से प्रदत्त प्रारूप पर मासिक एवं क्रमिक सूचना अनिवार्यतः माह के अन्तिम कार्यदिवस को राज्य पर स्टेट ब्लड सेल को उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया कया।	Hospital Manager/Chief Pharmacits
ब्लड बैंक–ओपेक कैली अस्पताल–बस्ती • टीमा द्वारा ब्लड बैंक–ओपेक कैली अस्पताल का निरीक्षण किया गया। • अप्रैल, 2019 से अब तक कुल 552 यूनिट ब्लड Issue कर दिया गया है। • स्टॉक पोजिशन डिस्प्ले नहीं की जा रही है। •	प्रतिदिन के ग्रुपवार स्टाक पोजीशन के प्रदर्शन हेतु जानकारी प्रदान की गई।	Incharge BB & LT
• ब्लड बैंक में डोनर परामर्श हेतु कक्ष की व्यवस्था नहीं है । परामर्शदाता द्वारा आवश्यकतानुसार कही पर भी बैठकर परामर्श का कार्य किया जाता है।	रक्तदाता के रक्तदान से पूर्व परामर्श हेतु अलग के कक्ष की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया जिससे एक सकारात्मक वातावरण में रक्तदाता से परामर्श का कार्य किया जा सके।	Incharge BB
• परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रदान करने से सम्बन्धित कोई भी सूचना/विवरण अलग से किसी पंजिका पर अंकित नहीं किया जा रहा है मात्र कन्सेन्ट फार्म ही भरा जा रहा है।	रक्तकोष में आने वाले समस्त प्रकार के रक्तदाताओं की परामर्श उपरान्त संक्षिप्त विवरण किसी पंजिका में अंकित करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	Counsrlor BB

Scanned by CamScanner

• रक्तकोष ओपेक कैली से एन0एच0एम0 द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर कोई भी सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।	एन0एच0एम0 द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर प्रतिमाह निर्धारित समयावधि में रक्तकोष/परामर्शदाता क्षेत्रीय भ्रमण योजना एवं रक्तकोष में कार्यरत मानव संसाधन की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।	Incharge BB/LT/Counselor
• रक्तकोष में अनुप्रयोग उपकरण/बैटरी आदि रखी गई है तथा कहीं–कही की फाल सीलिंग भी टूटी पाई गई।	अनुपयोगी उपकरणों को रक्तकोष से अन्यत्र रखने तथा रक्तकोष में टूटे फाल सीलिंग को सही कराने हेतु अवगत कराया गया।	Incharge BB
• डोनर रिफ्शमेन्ट हेतु कोई भी कक्ष निर्धारित नहीं है।	रक्तदान के उपरान्त डोनर के आराम व सूक्ष्म जलपान हेतु एक सुसज्जित कक्ष की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	Incharge BB
• ब्लीडिंग रूम में दो काउच है। मेडिसिन ट्रे में आवश्यकतानुसार दवादयों को सही से रखने हेतु अवगत कराया गया। • इस्तेमाल की हुई निडिल खुले में स्टूल पर ही रखा था ।	इस्तेमाल की हुई सिरिंज/अन्य सामाग्री को मानकारूप निर्धारित बायो मेडिकल बेस्ट के अनुसार संग्रहित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।	Lt & Staff Nurse
• एल0टी0 द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में Centerlized Payment की सुविधा है किन्तु सायंकाल 5 बजे के बाद वो counter बंद हो जाने के कारण मरीज से रक्तकोष में ही फीस जमा कर ली जाती है ओर अगले कार्यदिवस में उक्त भुगतान कों Hospital Payment Counter पर जमा किया जाता है और तभी मरीज को रसीद भी दी जाती है।	सांय 5 बजे के बाद रक्तकोष में रक्त की मांग लेकर आने वाले व्यक्तितियों/ मरीजों/ तीमारदारों को निर्धारित फीस जमा करने पर रसीद देने के वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिउया गया जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।	Incharge BB & Team

वी0एच0एन0डी0 सत्र–दुहवा मिश्र दिनांक 31.08.2019

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
सत्र माइक्रोप्लान के अनुरूप किया जा रहा था। सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 सरिता तिवारी के साथ आशा श्रीमती रजनी उपस्थिति थी।	गर्भवती महिलाओं के सुगर जाँच की स्ट्रिप आगामी ए0एन0एम0 बैठक में प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु बी0सी0पी0एम0 को अवगत कराया गया। लाभार्थियों को बुलाने हेतु बुलावा पर्ची का उपयोग तथा बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने पर बच्चों के माता–पिता को पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रमाण पत्र देने पर टीम की प्रशंसा की गई।	CHC Suptt/ BCPM
• सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 के पास सभी आवश्यक सामाग्री व वैक्सीन उपलब्ध पायी गई। • सत्र स्थल पर बैनर लगे पाए गए। • अभिलेखों का रख–रखाव सही पाया गया। • सत्रवार ड्यू लिस्ट डायरी में बनाया गया था। ड्यू लिस्ट में कुल 16 लाभार्थियों का विवरण अंकित था। • टीकाकरण सत्र पर आशा अपने यूनिफार्म में थी।		
• सत्र स्थल पर गर्भवती महिलाओं के सुगर की जाँच हेतु सुगर स्ट्रीप नहीं पाए गए। ए0एन0एम0 से पूछने पर ए0एन0एम0 द्वारा बताया गया कि पिछले 4 माह से सुगर स्ट्रिप उपलब्ध नही है, जिस हेंतु मांग पत्र सामु0स्वा0 केन्द्र पर दे दिया गया है।		

Scanned by CamScanner

• नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सत्र स्थल पर लाभार्थियों को बुलाने हेतु बुलावा पर्ची का उपयोग आशा द्वारा किया जा रहा था तथा जो भी लाभार्थी सत्र स्थल पर आ रहे थे उनके पास बुलावा पर्ची थी। • समय से बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराने पर बच्चों के माता–पिता को पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा था।		

अभियुक्ति–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में अपर मु0चि0अधि0 एन0एच0एम0,डी0पी0एम0यू0 के अधिकारी/कर्मचारी , तथा सलाहकार मातृ स्वास्थ्य के साथ भ्रमण किये गये केन्द्रों तथा कार्यकमों से सम्बन्धित गतिविधिवार सुधारात्मक बिन्दुओं पर की गई चर्चा तथा लिये गये निर्णय को इकाई स्तर पर कृयान्वित कराना।
- जनपद के सभी प्रसव कक्ष का निरीक्षण कराकर मानकारूप प्रसव कक्ष में साफ–सफाई तथा उपकरण व दवाइयों की व्यवस्था कराना।
- पी0एन0सी0 वार्ड में साफ –सफाई तथा गोपनीयता की व्यवस्था हो।
- एच0आर0पी0 केस का फॉलोअप तथा नियमित जाँच रिकार्ड का रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाय।
- टीकाकरण सत्र पर दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक उपकरण व लाजिस्टिक की व्यवस्था हो।
- पूर्ण टीकाकरण हेतु लाभार्थी को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र में एम0आर0 तथा रोटावारयरस को सम्मिलित कराया जाय।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन तथा भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि वार्ड में एडमिट लाभार्थी को मानकानुरूप भोजन व नाश्ता मिलें तथा भुगतान किये जा रहे बिल वाउचर का भी सत्यापन कराया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि सभी इकाई पर प्रदत्त निर्देशानुसार भोजन की व्यवस्था की जाय न कि मात्र दूध व ब्रेड।
- प्रसव कक्ष व पी0एन0सी0 वार्ड में चिकित्सा अधीक्षक व महिला चिकित्सा द्वारा नियमित भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं तथा साफ–सफाई की व्यवस्था की जाँच की जाय ।
- जनपद स्तर से परामर्शदाता क्वालिटी, नर्स मेन्टर की टीम बनाकर जनपद के सभी प्रसव कक्ष का निरीक्षण कराकर मानकाररूप सुदृणीकरण कराया जाय।
- जिला स्वास्थ्य समिति के पास एन0एच0एम0 कर्मियों के लम्बे अवकाश/मातृत्व अवकाश पर जाने की सूचना अवश्य प्रेषित की जाय तथा कार्यक्रम अधिकारी के पास भी सूचना की प्रति उपलब्ध कराई जाय।

Scanned by CamScanner

- रक्तकोष के सुदृणीकरण हेतु एन0एच0एम0 से प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा रक्तकोष द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं/बी0सी0टी0वी0 आदि की मासिक समीक्षा की जाय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के एजेण्डा में भी उक्त को सम्मिलित किया जाय जिससे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।

वित्तीय आख्या जनपद बस्ती

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित दिशा – निर्देशों को संज्ञान में रखते हुए जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती, सी0एच0सी0 हरैया, जनपद – बस्ती, सी0एच0सी0 दुबौलिया, जनपद – बस्ती के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) भी अवलोकन किया गया। भ्रमण आख्या निम्नवत् है–

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद बस्ती

जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है :–

क्रम संख्या	अवलोकन बिन्दु	सुधार/कार्यवाही जो की जानी है	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
1.	**मॉनेटरिंग एण्ड सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन लेने के टेंडर में गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :–** **निविदा के तकनीकी बिड मूल्यांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ की गयी है –** 1. मॉनेटरिंग एण्ड सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन लेने के टेंडर में चार फर्मो द्वारा प्रतिभाग किया गया था, टेंडर कमेटी द्वारा दो फर्मों मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स एवं मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन ट्रेवल्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर को तकनीकिरूप से योग्य पाया था। 2. टेंडर में प्रतिभाग करने वाली समस्त फर्मों को रु० 1,05,000.00 ई०एम०डी० के लिए डी०डी०/बैंकर चेक के माध्यम से जमा करना था, मोनेटरिंग एण्ड सपोर्टिव सुपरविजन हेतु चयनित फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा डी०डी०/बैंकर चेक के माध्यम से ई०एम०डी० रु० 1,05,000.00 जमा नहीं किया था। उसके बावजूद फर्म को चयनित किया गया था। 3. चयनित फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा टेंडर प्रपत्र के साथ ई०एम०डी० के लिए रु० 1,05,000.00 का साधारण चेक लगाया गया था। उस चेक पर मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स के प्रोपराइटर श्री सूर्य मणि पाण्डेय के हस्ताक्षर नहीं थे चेक पर एल–2 फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन ट्रेवल्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर के	टेंडर पत्रावली में पायी गयी अनियमितताओं की जाँच कर ली जाये तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाये।	1. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। 2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। 3. मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बस्ती।

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M. U.P.

Scanned by CamScanner

	प्रोपराइटर श्री ब्रज भूषण पाण्डेय के हस्ताक्षर थे। <u>उक्त तथ्य से स्पस्ट है कि एल–1 एवं एल–2 फर्में एक ही परिवार की थी । चेक पर अन्य फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर होने से वह चेक फर्जी प्रपत्र था, जिस पर टेंडर कमेटी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था</u>। 4. टेंडर शर्त के अनुसार फर्म का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर रु० 20.00 लाख होना चाहिए था। मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23.01.2018 को हुआ था अर्थात् टेंडर निविदा प्रकाशित होने से एक माह पूर्व। फर्म द्वारा स्टीमेटड बलेंस शीट लगायी गयी थी। <u>टेंडर कमेटी द्वारा इस शर्त की भी अनदेखी की है</u>। 5. टेंडर शर्त के अनुसार फर्म के पास सरकारी विभाग में काम करने का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए था। <u>टेंडर कमेटी द्वारा इस शर्त की भी अनदेखी की है</u>। <u>मॉनेटरिंग एण्ड सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन लेने हेतु मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स के चयन के बाद की गयी अनियमितता का विवरण :–</u> ➢ <u>टेंडर शर्त के अनुसार चयनित फर्म को चयन के सात दिन के अंदर रु 4,15,800.00 की सिक्योरिटी धनराशि प्राप्त की जानी थी</u>। परन्तु मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा उक्त धनराशि को जमा नहीं किया गया इसके बाद भी उक्त फर्म का चयन निरस्त नहीं किया गया था।		
2.	<u>जे०एस०एस०के० डाइट के टेंडर में गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है</u> :– 1. कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/ जे०एस०एस०के० /93 वॉ– 4 /2015–16/2556 दिनांक 16.07.2015 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि जे०एस०एस०के० डाइट को अधोमानक स्तर का होने के लिए न्यूनतम रु० 90 का होना चाहिए परन्तु जनपद बस्ती में रु 83 पर मैसर्स शेष नारायण त्रिपाठी को दे दिया गया था। 2. जे०एस०एस०के० डाइट हेतु जारी दिशा – निर्देशों में डाइट को तीन भाग (नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन) में बाटने हेतु निर्देशित किया गया है तथा फर्म को लाभार्थी द्वारा उपभोग की गयी डाइट के आधार पर भुगतान किया जाना था परन्तु जनपद बस्ती के महिला चिकित्सालय में फर्म को एक मुश्त रु 83 की दर से भुगतान किया जा रहा है। फर्म को अधिक भुगतान की गयी	टेंडर पत्रावली में पायी गयी अनियमितताओं की जाँच कर ली जाये तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। ➢ <u>राज्य स्तर से जारी किये गए निम्नलिखित दिशा – निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है–</u> ➢ जे०एस०एस०के० डाइट को अधोमानक स्तर का होने के लिए न्यूनतम रु० 90 एवं अधिकतम रु० 100 की सीमा का होना चाहिए। ➢ जे०एस०एस०के० डाइट हेतु जारी दिशा – निर्देशों के अनुसार डाइट को तीन	1. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। 2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। 3. मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बस्ती।

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M U.P.

Scanned by CamScanner

<table>
<tr>
<td></td>
<td>धनराशि की रिकवरी की जानी चाहिए ।
3. जे०एस०एस०के० डाइट के टेंडर में चयनित फर्म मैसर्स शेष नारायण त्रिपाठी से सिक्योरिटी धनराशि प्राप्त नहीं की गयी थी। परन्तु मैसर्स शेष नारायण त्रिपाठी द्वारा उक्त धनराशि को जमा नहीं किया गया इसके बाद भी उक्त फर्म का चयन निरस्त नहीं किया गया था।</td>
<td>भाग (नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन) में बाँटा जाये।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td><u>आर०एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम</u> :–
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद बस्ती के आर०एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसर्स Eastern Drug Agencies से रु के लैब मटेरियल को कोटेशन के माध्यम से क्रय किया गया था, टेंडर प्रक्रीया से बचने के लिए आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया था। वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए क्रय किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है।
<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>दिनांक</th><th>पी0एफ0एम0ए स0</th><th>धनराशि</th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>23-04-2018</td><td>C041802719519</td><td>184889</td><td rowspan="11">Eastern Drug Agencies</td></tr>
<tr><td>2</td><td>23-04-2018</td><td>C041802718643</td><td>311991</td></tr>
<tr><td>3</td><td>23-04-2018</td><td>C041802718829</td><td>397017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>27-03-2019</td><td>C031928780903</td><td>77700</td></tr>
<tr><td>5</td><td>27-03-2019</td><td>C03192878144 8</td><td>88493</td></tr>
<tr><td>6</td><td>29-03-2019</td><td>C03193446616 6</td><td>73278</td></tr>
<tr><td>7</td><td>04-02-2019</td><td>C01193173568 5</td><td>86292</td></tr>
<tr><td>8</td><td>07-01-2019</td><td>C01190158006 8</td><td>92169</td></tr>
<tr><td>9</td><td>15-03-2019</td><td>C03191157726 5</td><td>79932</td></tr>
<tr><td>10</td><td>22-02-2019</td><td>C02191692027 8</td><td>80028</td></tr>
<tr><td>11</td><td>27-03-2019</td><td>C03192878206 6</td><td>75168</td></tr>
</table>
</td>
<td>1. वित्तीय दिशा निर्देशों के अनुसार किसी फर्म को रु0 1.00 लाख का भुगतान बिना टेण्डर प्रकिया के नहीं किया जाना चाहिए परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती द्वारा टेण्डर प्रकिया से बचने के लिए बिलों को टुकड़ों में विभाजित किया गया है।
2. आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या – 3/2017/1067(1)/78–2– 2017 दिनांक 12.05.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि "पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जाब– वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजानिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन0आई0सी0 के ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्लेटफार्म <u>https://etender.up.nic.in</u> का प्रयोग करते हुये सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब–वर्क सभी</td>
<td>डी०टी०ओ० एवं मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बस्ती।</td>
</tr>
</table>

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M U.P,

Scanned by CamScanner

		निर्माण कार्यो, सेवाओं/जॉब–वर्क एवं सामग्री के क्रय चालू अनुबंध एवं दर अनुबंध हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया गया था। साथ ही इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश कराये गये थे तथा <u>राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कार्यालय के पत्र संख्या–एन0एच0एम0/2017–18/ई0टेण्डरिंग/274/1856–2 दिनांक 5 जून 2017 के माध्यम से उक्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था।</u>	
3.	<u>कैश बुक/बैंक बुक</u> (A) जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पर कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। जबकि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैशबुक को दैनिक आधार पर बन्द कर दिया जाय। (B) कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।	• कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर बनाया जाये। जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन न किया गया हो उस दिन "No Transaction" की स्टाम्प लगाकर बैलेंसिंग कर दी जाये। • कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कया जाये।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
4.	<u>जर्नल रजिस्टर</u> समायोजन हेतु मैनुअल जर्नल रजिस्टर भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।	जर्नल रजिस्टर का उपयोग सभी जर्नल /समायोजन प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाना चाहिए।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
5.	पी०एफ०एम०एस० निर्गत रजिस्टर तैयार किया गया है।		
6.	<u>फण्ड प्राप्ति रजिस्टर</u> वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार नहीं किया गया है।	फण्ड प्राप्ति रजिस्टर तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
7.	<u>डिस्बर्समेंट रजिस्टर</u> वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार नहीं किया गया है।	डिस्बर्समेंट रजिस्टर तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M U.P,

Scanned by CamScanner

8.	**बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट** बैंक स्टेटमेन्ट मासिक अन्तराल पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।		
9.	**बैंक समाधान विवरण** वित्तीय वर्ष 2019–20 मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बैंक समाधान विवरण का कार्यक्रमवार मासिक तैयार नहीं किया जा रहा है। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किये जा रहे है।	**आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट** के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण को मासिक आधार पर बनाया जाय। जिसके परिणाम स्वरूप कालातीत चेकों की सहीं स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवरण है, जिसका सावधानी पूर्वक मिलान नियमित अन्तराल पर किया जाना चाहिए। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराना चाहिए।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
10.	**कान्करेन्ट आडिट** वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु माह जुलाई 2019 तक की कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	दुर्विनियोजनों तथा वित्तीय अनियमितताओं पर उचित रूप से नियन्त्रण हेतु कान्करेन्ट आडिट व्यवस्था एक प्रभावी माध्यम हो सकता है, परन्तु समय से कान्करेन्ट आडिट न कराये जाने एवं कान्करेन्ट आडिट रिर्पोट की ऑडिट आपत्तियों पर नियमित रूप से कार्यवाही न किये जाने से कान्करेन्ट आडिट से प्राप्त होने वाले लाभ निष्प्रभावी हो रहे है। तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
11.	**स्रोतों पर आयकर की कटौती** त्रैमासिक ई0टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।	तत्काल किया जाना अपेक्षित है।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M U.P.

Scanned by CamScanner

जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती

जनपद बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है :–

<table>
<tr><th>अवलोकन बिन्दु</th><th>सुधार/कार्यवाही जो की जानी है</th><th>कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व</th></tr>
<tr><td>

<u>जे०एस०एस०के० ड्रग एवं डायग्नोस्टिक</u> :–

जनपद बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय में जे०एस०एस०के० ड्रग एवं डायग्नोस्टिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया था, परन्तु आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कोटेशन/ टेंडर से बचा जा सके। वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए क्रय किया गया है, जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>धनराशि</th><th>दिनांक</th><th>पी०एफ०एम०एस०</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>1.</td><td>138780</td><td>24-08-2019</td><td>C081914942885</td><td rowspan="2">M/s Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticala LIMITED</td><td rowspan="2">अवगत कराना है कि आदेश M/s Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticala LIMITED को दिया गया था तथा बिल भी उसी फर्म से प्राप्त हुआ था, परन्तु भुगतान एस०वी० प्रसाद को किया गया था।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>89128</td><td>20-07-2019</td><td>C071915987485</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>94392</td><td>20-05-2019</td><td>C051907620259</td><td rowspan="3">The Medicine Mall</td><td rowspan="3">आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कोटेशन/ टेंडर से बचा जा सके।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>46440</td><td>11-06-2019</td><td>C061905630433</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>27270</td><td>22-08-2019</td><td>C081913603554</td></tr>
</table>

जेम पोर्टल से क्रय करते समय वित्तीय दिशा निर्देशों का संज्ञान में रखा जाये, कोटेशन/टेंडर से बचने के लिए आदेश को टुकड़ों में न दिया जाये।

</td><td></td></tr>
</table>

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M ,U.P,

Scanned by CamScanner

6.	104034	22-08-2019	C081913629087	Medicine Mahal	आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कोटेशन/टेंडर से बचा जा सके।			
7.	69120	20-07-2019	C071915986583					
8.	37260	11-06-2019	C061905630109					
9.	36147	30-07-2019	C071925916955					
10.	23760	21-06-2019	C061919224883					

कैश बुक/बैंक बुक

(C) जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पर कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। जबकि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैशबुक को दैनिक आधार पर बन्द कर दिया जाय।

(D) कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।

- कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर बनाया जाये। जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन न किया गया हो उस दिन "No Transaction" की स्टाम्प लगाकर बैलेंसिंग कर दी जाये।
- कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कया जाये।

सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

बैंक समाधान विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती में बैंक समाधान विवरण मासिक तैयार किया जा रहा है। परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किये जा रहे है।

आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण को मासिक आधार पर बनाया जाय।
जिसके परिणाम स्वरूप

सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M. U.P.

Scanned by CamScanner

	कालातीत चेकों की सहीं स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवरण है, जिसका सावधानी पूर्वक मिलान नियमित अन्तराल पर किया जाना चाहिए। **तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराना चाहिए।**	
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए आर०के०एस० ऑडिट को नहीं कराया गया है।	आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। कुछ प्रकरण में एक ही लाभार्थी को तीन बार भुगतान किया गया है, सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। **विस्तृत विवरण संलग्न**	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रख रखाव क्रमवार होना चाहिए।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
टेंडर /कोटेशन पत्रावली को भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है।	टेंडर पत्रावली को नियमानुसार तैयार किया जाना अनिवार्य है।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।	जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M. U.P.

Scanned by CamScanner

सी0एच0सी0 हरैया, जनपद – बस्ती

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
वित्तीय वर्ष 2019–20 में कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर बनाया गया है, परन्तु एम०ओ०आई०सी० द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा रहा है	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कैशबुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाय।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019–20 से बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।	वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बी०आर०एस० को मासिक आधार पर बनाया जाना अनिवार्य है। लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 15 दिन में बैंक समाधान विवरण को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019–20 में टैली ई0आर0पी0–09 पर कोई प्रविष्टी नहीं की गयी थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 15 दिन में प्रविष्टी पूर्ण कर ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
आर०के०एस० ऑडिट रिपोर्ट सी0एच.0सी0 पर उपलब्ध नहीं थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 तक का ऑडिट पूर्ण हो चूका है परन्तु सी०ए०फर्म से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसे आगामी भ्रमण में प्रस्तुत किया जायेगा। आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
लेखाकार/लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है।	शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रखरखाव क्रमवार होना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई0 में कतिपय प्रकरण में लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।	जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M. U.P.

Scanned by CamScanner

जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कतिपय प्रकरण में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को दोहरे भुगतान किये गए है, चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी कल्याणपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जांच करायी जा रही है। साथ ही हुए अनियमित भुगतान की रिकवरी कराते हुए एन0एच0एम0 खाते में जमा करा दिया जायेगा तथा आगामी भ्रमण के दौरान आख्या प्रस्तुत की जायेगी।	
कैशबुक/बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है।	कैशबुक/बैंकबुक अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
कय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है।	चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी हरैया द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 15 दिन की अवधि में स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टी पूर्ण करा ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

सी0एच0सी0 दुबौलिया, जनपद – बस्ती

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
<u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि को अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित करके की जा रही वित्तीय अनियमित्ता के सम्बन्ध में :–</u> लिपिक श्री जंगी प्रसाद गुप्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु० की धनराशि को अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है। पी0एफ0एम0एस0 के पोर्टल से "**Know Your Payment**" से यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कर्मचारी के खाते में अनियमित रूप से रू0 06,88,585.00 की धनराशि अपने खातों में हस्तांतरित कर ली है।	प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाहीं की जाये।	मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद बस्ती।

क्र०सं०	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0	धनराशि
1.	28.06.2018	C061809781278	19,200.00
2.	13.09.2018	C091802310699	4,800.00
3.	29.11.2018	C111814748823	4,800.00
	कुल आहरित धनराशि		28,800.00

Vikas Kunwar
Officer Audit

Scanned by CamScanner

<u>भ्रमण के दौरान उपरोक्त भुगतानों के सापेक्ष कोई भी बिल/वाऊचर प्रस्तुत नहीं किया गया था।</u>		
कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर तथा अन्य लेखाभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कैशबुक एवं पी०एफ०एम०एस० एडवाइस निर्गत रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कैशबुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाय। लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 18 दिन में कैशबुक एवं पी0एफ0एम0एस रजिस्टर को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
<u>वित्तीय वर्ष 2019–20 से बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।</u>	<u>वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बी०आर०एस० को मासिक आधार पर बनाया जाना अनिवार्य है।</u> लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 18 दिन में बैंक समाधान विवरण को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019–20 में टैली ई0आर0पी0–09 पर कोई प्रविष्टी नहीं की गयी थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 15 दिन में प्रविष्टी पूर्ण कर ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2012–13 के पश्चात् की आर०के०एस० ऑडिट रिपोर्ट सी0एच.0सी0 पर उपलब्ध नहीं थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 तक का ऑडिट पूर्ण हो चूका है परन्तु सी०ए०फर्म से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसे आगामी भ्रमण में प्रस्तुत किया जायेगा। आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
ब्लॉक लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है।	शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रखरखाव क्रमवार होना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई0 में कतिपय प्रकरण में लाभार्थियों	जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M U.P.

Scanned by CamScanner

को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कतिपय प्रकरण में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को दोहरे भुगतान किये गए है, चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी कल्याणपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जांच करायी जा रही है। साथ ही हुए अनियमित भुगतान की रिकवरी कराते हुए एन0एच0एम0 खाते में जमा करा दिया जायेगा तथा आगामी भ्रमण के दौरान आख्या प्रस्तुत की जायेगी।	प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
कैशबुक/बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है।	कैशबुक/बैंकबुक अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
कय की गयी सामग्रियों की प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है।	चिकित्सा अधीक्षक, सी0एच0सी दुबौलिया द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 15 दिन की अवधि में स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टी पूर्ण करा ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार), लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

आर० के० एस० ऑडिट हेतु राज्य स्तर से निर्धारित फीस से अधिक दर पर भुगतान किया गया है, अधिक भुगतान की गयी धनराशि की तत्काल रिकवरी किया जाना अपेक्षित है, विस्तृत विवरण निम्नवत है –

सी0एच0सी0	दिनांक	पी0एफ0एम0एस0	फर्म का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	नियमानुसार भुगतान योग्य धनराशि	रिकवरी योग्य धनराशि
Kaptainganj	31-03-2019	C031940478039	Chaudhary Verma & Associates Chartered Accountant	28910	10000	18910
VIKRAMJOT	29-03-2019	C031934171073		18880	8000	10880
	Total					29790

Vikas Kunwar
Officer Audit

Scanned by CamScanner

जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को किये गए अनियमित भुगतान की रिकवरी किये जाने के सम्बन्ध में

जनपद जनपद बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है।

Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Payment/Credit	Payment Status	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
Sangeeta	1400	27/07/2018	Credit Success	xxxxxxx7833	20323484452	STATE BANK OF INDIA
Sangeeta	1400	15/12/2018	Credit Success	xxxxxxx7833	20323484452	STATE BANK OF INDIA
Sangeeta	1400	09/01/2019	Credit Success	xxxxxxx7833	20323484452	STATE BANK OF INDIA
Manju	1400	17/07/2018	Credit Success		35983664566	STATE BANK OF INDIA
Manju	1400	04/08/2018	Credit Success	xxxxxxx7982	35983664566	STATE BANK OF INDIA
preeti	1400	09/01/2019	Credit Success	xxxxxxx0612	719301011003703	VIJAYA BANK
preeti	1400	04/02/2019	Credit Success	xxxxxxx0612	719301011003703	VIJAYA BANK
SUNDARI	1400	03/06/2019	Credit Success	xxxxxxx1965	75083418810	Purvanchal Bank
SUNDARI	1400	02/07/2019	Credit Success	xxxxxxx1965	75083418810	Purvanchal Bank

- सुझावात्मक बिंदु –
  क्रय प्रक्रिया के लिए निम्नवत दिशा–निर्देशों का पालन किये जाने का सुझाव दिया गया–
  - रू 20,000.00 तक का क्रय Market Survey के आधार पर किया जा सकता है।
  - रू 20,000.00 से रू 1,00,000.00 के क्रय के लिये तीन फर्मों की कोटेशन (कम से कम) लेकर जो निम्नतम हो। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके कोटेशन प्रक्रिया से न बचें।
  - रू 1,00,000.00 से ऊपर के क्रय के लिये टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जाये। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके टेण्डर प्रक्रिया से न बचें।
  - यदि किसी सामग्री/उत्पाद के लिए डी0जी0एस0एन0डी0/प्रदेश सरकार से फर्म का रेट अनुबन्ध हुआ है तो उस फर्म से सीधे क्रय किया जा सकता है।
  - सभी वस्तुओं का क्रय केवल रजिस्टर्ड फर्मों एवं सम्बन्धित वस्तुओं के पंजीकृत डीलरों से ही किया जाय। सम्बन्धित फर्मों से उनका पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय।
  - सामानों का कय उनकी माँग एवं उनके उपयोग की क्षमता का आंकलन करने के पश्चात ही किया जाये।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में किये जाने की व्यवस्था है। अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमित रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जाती है, तो यह गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा।
- जिला के सभी पीएचसी/सीएचसी लेखा कर्मियों की निश्चित अन्तराल में बैठक/प्रशिक्षण आयोजित की जानी चाहिए जिससे उनकी व्यवहारिक एवं कर सम्बन्धी सभी समस्याओं को दूर किया जा सके।
- पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित एन0जी0ओ0 एवं आर0के0एस0 से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

Vikas Kunwar
Officer Audit
N.H.M. U.P.

Scanned by CamScanner

- कार्यवृत्त रजिस्टर सम्बन्धित बैठकों की कार्यवृत्ति पंजिका नियमित रुप से अद्यावधिक भरा जाय।
- जनरेटर/वाहन लाग बुक नियमित रुप से बनाई जाय एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ससमय नियमित रुप से प्रमाणित करा कर रखा जाय।
- चेक निर्गत रजिस्टर एवं जे0एस0वाई रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया जाय।
- बी0आर0एस0 माहवार तैयार किया जाना चाहिए।
- फण्ड का उपयोग आवश्यकतानुसार करें न कि वर्ष के अन्त में।
- नियमित अन्तराल पर जनपद स्तरीय व्यय भुगतान समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए , जिसमें सी0एच0सी0/पी0एच0सी स्तर के सभी सम्बन्धित कर्मियों को, जो लेखा पुस्तकों के रख–रखाव के लिए मुख्य रुप से जिम्मेदार हैं, बुलाया जाय। उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाना भी अपेक्षित है।

(सुरेश कुमार मौर्य)	(विकास कुँवर)	(नीलिमा पाठक)
प्रोग्राम असिस्टेन्ट, आर0आई0	आडिट ऑफिसर	सलाहकार, ब्लड सेल

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0
विशाल कॉम्पलेक्स,19–ए,विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, बस्ती।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एस.एस.भ्रमण–बस्ती /2019–20/ दिनांक–30-09-19

विषय– सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत चिन्हित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 29.8.2019 से 31.8.2019 तक आपके जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों /कार्यक्रमों का क्षेत्रीय सत्यापन तथा गुणवत्ता का भी आंकलन किया गया।

भ्रमण के अन्तर्गत पाए गए कुछ बिन्दुओं पर आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है–

1. जनपदीय परामर्शदाता क्वालिटी तथा नर्सा मेन्टर की टीम बनाकर जनपद के सभी प्रसव कक्ष का निरीक्षण कराकर मानकारूप सुदृणीकरण एवं प्रसाव कक्ष में साफ–सफाई तथा उपकरण व दवाइयों की व्यवस्था कराई जाए।
2. एच0आर0पी0 केस का फॉलोअप तथा नियमित जाँच रिकार्ड का रख–रखाव सुनिश्चित की जाए।
3. प्रसव कक्ष व पी0एन0सी0 वार्ड में चिकित्सा अधीक्षक व महिला चिकित्सा द्वारा नियमित भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं, साफ–सफाई तथा गोपनीयता की व्यवस्था की जाए।
4. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन तथा भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि वार्ड में भर्ती लाभार्थी को मानकानुरूप भोजन व नाश्ता मिलें तथा भुगतान किये जा रहे बिल वाउचर का भी सत्यापन कराया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि सभी इकाई पर प्रदत्त निर्देशानुसार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध हो।
5. टीकाकरण सत्र पर दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक उपकरण व लाजिस्टिक की व्यवस्था तथा पूर्ण टीकाकरण हेतु लाभार्थी को प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र में एम0आर0 तथा रोटावारयरस को सम्मिलित किया जाए।
6. रक्तकोष के सुदृणीकरण हेतु एन0एच0एम0 से प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा रक्तकोष द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं/बी0सी0टी0वी0 आदि की मासिक समीक्षा की जाय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के एजेण्डा में भी उक्त को सम्मिलित किया जाय जिससे कार्यक्रम की नियमित समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान किया जा सके।
7. जनपद स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के पास एन0एच0एम0 कर्मियों के लम्बे अवकाश/मातृत्व अवकाश पर जाने की सूचना अवश्य प्रेषित की जाय तथा कार्यक्रम अधिकारी के पास भी सूचना की प्रति उपलब्ध की जाए।
8. मॉनेटरिंग एण्ड सपोर्टिव सुपरविजन हेतु किराये पर वाहन लेने के टेंडर में गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :–
    - चयनित फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा टेंडर प्रपत्र के साथ ई0एम0डी0 के लिए रु0 1,05,000.00 का साधारण चेक लगाया गया था। उस चेक पर मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स के प्रोपराइटर श्री सूर्य मणि पाण्डेय के हस्ताक्षर नहीं थे चेक पर एल–2 फर्म मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन ट्रेवल्स एंड जनरल आर्डर सप्लायर के प्रोपराइटर श्री ब्रज भूषण पाण्डेय के हस्ताक्षर थे। उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि एल–1 एवं एल–2 फर्में एक ही परिवार की थी । चेक पर अन्य फर्म के प्रोपराइटर के हस्ताक्षर होने से वह चेक फर्जी प्रपत्र था, जिस पर टेंडर कमेटी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।
    - टेंडर शर्त के अनुसार फर्म का विगत तीन वर्षों का टर्नओवर रु0 20.00 लाख होना चाहिए था। मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स का रजिस्ट्रेशन दिनांक 23.01.2018 को हुआ था अर्थात् टेंडर निविदा प्रकाशित होने से एक माह पूर्व फर्म द्वारा स्टीमेटेड बैलेंस शीट लगायी गयी थी। टेंडर कमेटी द्वारा इस शर्त की भी अनदेखी की गई।
    - टेंडर शर्त के अनुसार फर्म के पास सरकारी विभाग में काम करने का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए था। टेंडर कमेटी द्वारा इस शर्त की भी अनदेखी की गई।

Scanned by CamScanner

- टेंडर शर्त के अनुसार चयनित फर्म को चयन के सात दिन के अंदर रु 4,15,800.00 की सिक्योरिटी धनराशि प्राप्त की जानी थी, परन्तु मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेवल्स द्वारा उक्त धनराशि को जमा नहीं किया गया इसके बाद भी उक्त फर्म का चयन निरस्त नहीं किया गया था।

9. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद बस्ती के आर०एन०टी०सी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत मैसर्स Eastern Drug Agencies से रु 15,46,957.00 के लैब मैटेरियल को कोटेशन के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर क्रय किया गया है।
10. जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में जे०एस०एस०के० ड्रग एवं डायग्नोस्टिक कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया गया है एवं आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया, जिससे कोटेशन/ टेंडर से बचा जा सके।
11. सी०एच०सी० दुबौलिया, बस्ती में नियुक्त लिपिक श्री जंगी प्रसाद गुप्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु० 28,800.00 की धनराशि को अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तान्तरित किया गया है। पी०एफ०एम०एस० के पोर्टल से "Know Your Payment" से यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त कर्मचारी के खाते में अनियमित रूप से रू0 6,88,585.00 की धनराशि अपने खातों में हस्तांतरित की गई है, जबकी उपरोक्त भुगतानों के सापेक्ष कोई भी बिल/वाऊचर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।
12. आर० के० एस० ऑडिट हेतु राज्य स्तर से निर्धारित फीस रू0 2000/मात्र से अधिक दर का भुगतान फर्म चौधरी वर्मा एण्ड एसोशिएट को किया गया है, जो कि वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।
13. जे०एस०वाई० लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार एक ही लाभार्थी को भुगतान किया गया है। कुछ प्रकरण में एक ही लाभार्थी को तीन बार भुगतान किया गया है, सम्बंधित लिपिक द्वारा जे०एस०वाई० फार्म का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है।

संलग्नक– भ्रमण दल की हस्ताक्षरित रिर्पोट

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एस.एस.भ्रमण–बस्ती /2019–20/5653–9 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, मण्डल–बस्ती।
2. अपर मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
3. वित्त नियन्त्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0 स्वा0 एवं0 परिवार कल्याण, मण्डल–बस्ती।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष, महिला ,ओपेक कैली चिकित्सालय, बस्ती।
7. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
8. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 बस्ती ।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, बस्ती।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner